सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

30 जून, 2022

सप्तदश विधान सभा | वृहस्पतिवार, तिथि 30 जून, 2022 ई0

षष्ठम सत्र | 09 आषाढ़, 1944 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

उपाध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा ।

(व्यवधान)

विपक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रह है, एक तो 15 महीने में पहली बार मुझे समय मिला है बैठने का, तो कम-से-कम आपलोग सहयोग कीजिए । आपकी जितनी बातें हैं उसे समय पर उठाइयेगा, सारी की सारी बातें सुनी जायेंगी । आज सदन का अंतिम दिन है, कम-से-कम आज तो प्रश्नोत्तर काल होने दीजिए ।

(व्यवधान जारी)

मेरा आपलोगों से आग्रह होगा कि आज प्रश्नोत्तर काल होने दीजिए । आज सदन का अंतिम दिन है, प्रश्नोत्तर काल होगा । अपनी बात समय पर रखिएगा, सभी बातें सुनी जायेंगी ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे । माननीय सदस्य श्री चन्द्रशेखर जी ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-37 (श्री चन्द्रशेखर, क्षेत्र सं0-73, मधेपुरा)

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-38 (श्री जय प्रकाश यादव, क्षेत्र सं0-46, नरपतगंज)

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

(व्यवधान जारी)

उपाध्यक्ष : समय पर, समय पर लिया जायेगा । माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-39 (श्री ललित कुमार यादव, क्षेत्र सं0-82, दरभंगा ग्रामीण)

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

(व्यवधान जारी)

उपाध्यक्ष : पोस्टर हटा लीजिए । माननीय सदस्य श्री रामानुज प्रसाद ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-40 (डॉ0 रामानुज प्रसाद, क्षेत्र सं0-122, सोनपुर)

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-41 (श्री भाई वीरेन्द्र, क्षेत्र सं0-187, मनेर)

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-42 (श्री संजय सरावगी, क्षेत्र सं0-83, दरभंगा)

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री (लिखित उत्तर) : आंशिक स्वीकारात्मक ।

बिहार राज्य के सभी जिलों में जल-जीवन हरियाली मिशन अंतर्गत जल स्रोतों आदि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर की जा रही है । अद्यतन प्रतिवेदन अनुसार कुल 18,279 अतिक्रमित जल स्रोतों में से 17,425 जल स्रोतों से अतिक्रमण हटा लिया गया है । इस प्रकार करीब 95 प्रतिशत जल स्रोत अतिक्रमण मुक्त कराये गये हैं । अब शेष 854 अतिक्रमित जल स्रोतों आदि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है ।

उक्त भूमि खतियान में मौजा-गंगवाड़ा, थाना नं0- 510, खेसरा नं0-67 किस्म नासी के रूप में अंकित है । जिसे नियमानुसार अतिक्रमणवाद सं0-05/2022-23 चलाकर प्रपत्र-। एवं ।। में निर्गत किया गया । अतिक्रमणमुक्त कराने हेतु पुलिस पदाधिकारी/पुलिस बल, दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्त के उपरांत दिनांक-24.06.2022 तिथि निर्धारित की गयी है ।

दरभंगा नगर निगम के वार्ड नं0- 32 में स्थित खेसरा 26105 गैरमजरूआ आम, किस्म-तालाब बहुत पूर्व से भरा जा चुका है । अंचल अधिकारी, सदर दरभंगा के द्वारा अतिक्रमण वाद सं0- 08/2022-23 खोलकर सभी को प्रपत्र- । में नोटिस निर्गत किया गया है । एक माह के भीतर विधिवत अतिक्रमणमुक्त करा लिया जायेगा ।

वार्ड नं0-2, नगर निगम दरभंगा के मौजा-वासुदपुर, थाना नं0- 449 के खाता-2040 गैरमजरूआ आम खेसरा-8526 एवं 8527, रकबा-89 डि0, किस्म-गड्डा की नापी कराकर अतिक्रमण वाद सं0-06/2022-23 खोलकर चिन्हित 09 अतिक्रमणकारियों पर प्रपत्र-। में नोटिस निर्गत किया गया है । एक माह के भीतर विधिवत अतिक्रमण मुक्त करा लिया जायेगा ।

करीब 95 प्रतिशत जल स्रोतों से अतिक्रमण हटाने के पश्चात् अब शेष 854 स्थल अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की जा रही है ।

श्री संजय सरावगी : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मामला है, माननीय मंत्रीजी ने कहा है कि 18279 अतिक्रमित जल स्रोतों में से 17435 जल स्रोतों से अतिक्रमण हटा लिया गया है । सरकारी दावों में उपाध्यक्ष महोदय संदेह उत्पन्न होता है और संदेह उत्पन्न होने का निश्चित कारण भी है, क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय दरभंगा शहर बिहार से अलग तो नहीं होगा ? दरभंगा शहर में हमलोग देख रहे हैं पूर्ण रूप से कोई भी अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक विषय रखना चाहता हूं । मैं पूरक प्रश्न पूछता हूं कि दिनांक- 17.03.2022 को मैंने विधान सभा में प्रश्न उठाया था कि 46 पोखर दरभंगा शहर में अतिक्रमणयुक्त हैं और माननीय मंत्री जी ने कहा था कि अप्रैल महीने में अतिक्रमण मुक्त करा देंगे । फिर मैंने कहा था कि क्या जुलाई में जो सेशन प्रारंभ होगा उसमें विधान सभा को रिपोर्ट देंगे, तो माननीय मंत्री जी ने कहा था कि विधान सभा का सत्र प्रारंभ होने के पहले ही माननीय सदस्य को मैं रिपोर्ट भेज दूंगा । यही प्रोसीडिंग में लिखा हुआ है उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन अभी तक एक भी तालाब अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ है । उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न (क) में यह स्वीकार किया गया है कि ये सभी सरकारी जो हैं, नासी है, तालाब है, डबरा है और इतना ही नहीं उपाध्यक्ष महोदय बहुत बड़ी संख्या में...

(व्यवधान जारी)

उपाध्यक्ष : पुन: माननीय सदस्यों से आग्रह है कि कृपया अपने-अपने स्थान पर जायं । आपकी सारी बातें सुनी जायेंगी । कृपया अपने-अपने स्थान पर जायं । समय पर आपलोगों की बातें सुनी जायेंगी । कृपया अपने स्थान पर जायं ।

(व्यवधान जारी)

सबका समय निर्धारित है, अभी प्रश्नकाल है । आपलोग बैठ जाइये । आपलोगों को समय मिलेगा, अपने स्थान पर जाइये । माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री संजय सरावगी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न है । मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो-जो मंत्री जी ने कहा कि स्वीकारात्मक है, यह डबरा सरकारी है अतिक्रमण कर लिया गया है, तो मेरा यह कहना है कि शहर में पूरा जल भरा होता है, नाला अतिक्रमण होने से बरसात में पूरे शहर में पानी भर जाता है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि समय-सीमा पुन: क्योंकि पहले वाले समय-सीमा में सरकार फेल हो गयी, माननीय मंत्री जी भी फेल हो गये, तो पुन: समय-सीमा सरकार निर्धारित कर दे । यह बहुत महत्वपूर्ण है कि कबतक अतिक्रमण मुक्त हो जायेगा । यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ।

(व्यवधान जारी)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपलोगों से आग्रह है कि अपने-अपने स्थान पर जायं ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य का जो कहना है, सरकार फेल नहीं होती है और न मंत्री फेल होते हैं । कार्रवाई हो रही है और इनको मालूम भी होगा कि इनके प्रश्न का उत्तर मैंने पिछले सदन में भी दिया था और मुझे खुशी हो रही है कि पूरे बिहार में लगभग 1644, कल सदन में हमने जवाब दिया था 1556, उत्तर फिर अपलोड हुआ है पूरे बिहार में 1644 अतिक्रमण खाली हुआ है और...

(व्यवधान जारी)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: महोदय, सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में फिर से नरेंद्र मोदी हाय-हाय का नारा लगना कहीं से उचित नहीं है । महोदय, इस पर रोक लगायी जाय । सदन इस तरह से नहीं चलेगा ।

उपाध्यक्ष : अब सदन की कार्यवाही 02.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-2/हेमन्त/30.06.2022

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

(व्यवधान)

बैठ जाइये, बैठ जाइये । वह समय आपका चला गया ।

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अनुसरण में बिहार सरकार का 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष 2020-21 के प्रतिवेदन ''राज्य के वित्त'' को महामहिम राज्यपाल, बिहार की अनुमति के आलोक में सदन पटल पर रखती हूं ।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली के नियम-238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन यथा समय सदन में उपस्थापित किया जायेगा ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष 2020-21 के प्रतिवेदन ''राज्य के वित्त'' को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात उक्त प्रतिवेदन को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष 2020-21 के प्रतिवेदन ''राज्य के वित्त'' को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात उक्त प्रतिवेदन को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, सहकारिता विभाग ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के तहत बिहार राज्य भंडार निगम से संबंधित वित्तीय वर्ष 2012-13,

2013-14 एवं 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : सभा सचिव ।

सभा सचिव : श्रीमान्, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-267 के अंतर्गत मुझे प्रतिवेदित करना है कि विभिन्न विषयों के संबंध में पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार 89 याचिकाएं प्राप्त हुई हैं ।

अध्यक्ष : अब गैर सरकारी संकल्प लिये जायेंगे ।

गैर सरकारी संकल्प

क्रमांक-1 : श्री मुरारी प्रसाद गौतम, स0वि0स0

(माननीय सदस्य द्वारा प्रस्ताव नहीं पढ़ा गया)

क्रमांक-2 : श्री संजय सरावगी, स0वि0स0

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा शहर के टावर चौक स्थित अमर शहीद भगत सिंह चौक पर अमर शहीद भगत सिंह जी की आदमकद प्रतिमा स्थापित करावे ।''

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, दिवंगत महानुभावों की प्रतिमा स्थापना हेतु अनुशंसा देने के लिए विभागीय संकल्प संख्या-730, दिनांक-30.04.2007 द्वारा राज्य स्तर पर राज्य अंतर्विभागीय समिति एवं जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में स्थल चयन समिति गठित है । स्थल चयन समिति से अनुशंसा प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जाती है ।

दरभंगा शहर के टावर चौक स्थित अमर शहीद भगत सिंह चौक पर अमर शहीद भगत सिंह जी की आदमकद प्रतिमा लगाने संबंधी प्रस्ताव सम्प्रति सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि स्थल चयन समिति जिला में है जबकि यहां शहीद भगत सिंह जी का चौक है, वहां उनका बस्ट लगा हुआ है, वह बड़ा चौक है और बड़ा चौक के साथ-साथ बस्ट मूर्ति भी लगी हुई है, तो नया स्थल चयन नहीं करना है और न ही कोई नयी जगह का चयन करना है । इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी, स्थल चयन ऑलरेडी वहां पर है, शहीद भगत सिंह जी की मूर्ति भी लगी हुई है, बस्ट लगा हुआ है, बड़ा चौराहा बना हुआ है । इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इन्होंने जो कहा कि प्रस्ताव विचारणीय नहीं है, तो क्या रिपोर्ट मंगाकर...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी सटीक जवाब दिये हैं ।

श्री संजय सरावगी : माननीय मंत्री जी जवाब देने वाले हैं, उनकी उठने की इच्छा हो रही है अध्यक्ष महोदय । जरा सा कहलवा दीजिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : प्रस्ताव ही नहीं आया है । जिला से प्रस्ताव आयेगा तो सरकार विचार करेगी ।

श्री संजय सरावगी : मैं माननीय मंत्री जी के आलोक में कि जिला से प्रस्ताव मंगाया जायेगा । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्यगण, अपने स्थान पर जायं । मात्र चार दिन का वर्किंग डे था और आपने चारों दिन डिस्टर्ब किया । बच्चे भी बैठे हुए हैं और आपके क्षेत्र के हैं, यह उचित नहीं है । नहीं, यह उचित नहीं है ।

(व्यवधान जारी)

आप लोकतंत्र में इस तरह से मत करिये । लोकतंत्रीय व्यवस्था के तहत बिहार में संवाद की सर्वोच्च विधायी संस्था का मूल उद्देश्य सार्थक विमर्श कर जनहित में उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए उनके जीवन को सरल, सुगम और समृद्ध बनाना है । बिहार के विकास के लिए विधायिका का सशक्त होना आवश्यक है । विधायिका जब सशक्त होगी तब वह अपने राजधर्म का पालन सकारात्मक और रचनात्मक रूप में कर सकेगी । विधायिका के मजबूत होने पर कई तरह की बीमारियां स्वयं समाप्त हो जाती हैं । हमें सस्ती राजनीति और प्रचार से बचना चाहिए । हमें तत्कालीन लाभ जैसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे बिहार की गरिमा को कोई ठेस पहुंचे और उसकी समृद्ध बौद्धिक विरासत पर कोई आंच आये । हमें बिहार के विकास और उसकी प्रतिष्ठा के लिए दलीय सीमाओं के ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए ।

(व्यवधान जारी)

बैठ जाइये, बैठ जाइये सब लोग । यहां बैठे जब हम सभी अनुशासित होकर व्यवहार की मर्यादा का पालन करते हुए जनता के हित के प्रति कटिबद्ध होकर अपने कार्यों का सच्चे मन से निष्पादन करेंगे तभी जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतर सकेंगे । ऐसा करके हम पूरे देश में एक बेहतरीन संदेश दे सकेंगे ।

(व्यवधान जारी)

अधिकार के साथ-साथ कर्तव्य का पालन करना हमारी जिम्मेवारी है और जो कर्तव्य का पालन नहीं करता है उसे समाज अधिकार नहीं देगा । जनता अधिकार नहीं देती है, यह याद रखिये ।

(व्यवधान जारी)

क्या यह अधिकार है कि आप चारों दिन जनता के विश्वास पर खरा नहीं उतरें ? क्या यह अधिकार है आपको ? नहीं, बैठिये अपनी जगह पर । आपकी कोई बात कहीं नहीं जायेगी, न प्रेस मीडिया में, न प्रोसीडिंग में । यह अधिकार नहीं है । यह अधिकार नहीं है, सदन को जबरदस्ती डिस्टर्ब करने का, आसन की बात को नहीं सुनना । अपने स्थान पर बैठिये । अगर संविधान ने अधिकार दिया है, तो उसका मौलिक कर्तव्य भी दिया है । सदन आपके हिसाब से नहीं चलेगा, सदन नियम से चलेगा ।

श्री कुंदन कुमार ।

क्रमांक-3 : श्री कुंदन कुमार, स0वि0स0

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय जिला के बेगूसराय अनुमंडल के एन0एच0-31 से लोहियानगर फ्लाईओवर से वीर कुंवर सिंह चौक, रजौड़ा होते हुए मंझोल अनुमंडल से सागी, रोसड़ा (समस्तीपुर) तक एस0एच0-50 पथ को एन0एच0 में परिवर्तित करावे ।''

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : सदन नियम और नियमावली से चलेगा, किसी के प्रेशर, दबाव और व्यवस्था में नहीं चलेगा ।

माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

टर्न-3/धिरेन्द्र/30.06.2022

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बेगूसराय जिला के बेगूसराय अनुमंडल के एन०एच०-31 से लोहियानगर फ्लाईओवर से वीर कुंवर सिंह चौक...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आपके लिए सभी अपने स्थान पर बैठेंगे, तभी आप बोलेंगे ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : रजौड़ा होते हुए मंझोल अनुमंडल से सागी, रोसड़ा (समस्तीपुर) जाने वाली 77 किलोमीटर.....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप सभी को बैठाइये अपने स्थान पर । अपने-अपने स्थान पर जाकर बैठ जाएं, नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं, सब बैठिये अपने स्थान पर ।

(व्यवधान जारी)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : इनका अधिकार है वहां पर बैठना ।

अध्यक्ष : कर्त्तव्य भी है । जब नेता प्रतिपक्ष खड़े हों तो सभी अपने स्थान पर बैठिये, कर्त्तव्य है । जाइये, अपने-अपने स्थान पर । अपने स्थान पर जाइयेगा, तभी नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे ।

(व्यवधान जारी)

नहीं-नहीं, यह उचित नहीं है, यह नहीं चलेगा । आप इस तरह से व्यवस्था नहीं चला सकते हैं क्योंकि आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन आपका भी धर्म और फर्ज बनता है, सदन चलाने में सहयोग करें । नेता प्रतिपक्ष जब खड़े हैं तो आप लोग इनका सम्मान कीजिये । सभी अपने स्थान पर बैठिये ।

(व्यवधान जारी)

जब आप बोल रहे हैं तब ये लोग अपने आसन पर नहीं जा सकते हैं तो बोलने का क्या औचित्य है आपका ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, ये तो आपके ऊपर है कि इनको संतुष्ट करें या न करें ।

अध्यक्ष : संतुष्ट, भगवान भी आ कर नहीं लोगों को किये हैं । नियम और संविधान के हिसाब से ही व्यवस्था चलेगी ।

(व्यवधान जारी)

आप अपने स्थान पर जाइये । कोई विषय प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगा, जब तक स्थान नहीं ग्रहण करेंगे ।

(व्यवधान जारी)

नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं, आप लोग अपने स्थान पर जाइये । इनका सम्मान कीजिये । नहीं, ऐसे नहीं चलेगा ।

(व्यवधान जारी)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, आप कह दीजिये कि नहीं बोलने देंगे नेता प्रतिपक्ष को तो हम चले जाते हैं ।

अध्यक्ष : हम बोलने के लिए पूरे सम्मान के साथ कह रहे हैं लेकिन आप अपने सदस्य को अनुशासन में नहीं रख सकते हैं ? आप नेता प्रतिपक्ष हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, जब आसन को हमारी जरूरत नहीं है तो हम चले जाते हैं ।

अध्यक्ष : आसन को सबकी जरूरत है । सदन नेता और प्रतिपक्ष, सभी सदस्यों की जरूरत है। ये सदन सदस्यों के लिए बना है जो अधिकार की बात करते हुए ईमानदारी से कर्त्तव्य निर्वहन करें क्योंकि बिहार की जनता, देश की जनता देखती है । आपका कर्त्तव्य बनता है जाकर अपनी जगह पर बैठने का । नहीं, ऐसे नहीं चलेगा ।

(व्यवधान जारी)

आप सबको अपने-अपने स्थान पर बैठाइये । हम तो मौका देने के लिए तैयार हैं ।

(व्यवधान जारी)

आपलोग क्यों नहीं चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष बोलें । आपलोग अपने स्थान पर जाइये । मैं मौका दे रहा हूँ ।

(व्यवधान जारी)

नहीं, आप अव्यवस्था फैलाइये और नेता प्रतिपक्ष बोलें, यह कैसे चलेगा ।

(इस अवसर पर विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए)

अध्यक्ष : श्री हरि भूषण ठाकुर ''बचोल'' ।

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे थे ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बेगूसराय जिला के बेगूसराय अनुमंडल के एन०एच०-31 से लोहियानगर फ्लाईओवर से वीर कुंवर सिंह चौक, रजौड़ा होते हुए मंझोल अनुमंडल से सागी, रोसड़ा (समस्तीपुर) तक जाने वाली 77 किलोमीटर एस०एच०-55 पथ वर्तमान में अच्छी स्थिति में है । राज्य सरकार के समक्ष एस०एच०-55 को एन०एच० में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री कुंदन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि केवल प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजना है, इसमें क्या दिक्कत है, क्या कठिनाई है । केवल प्रस्ताव है एस०एच० को एन०एच० में करना है ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस सड़क की स्थिति बहुत अच्छी है, एस०एच०-55 वर्तमान में अच्छी स्थिति में है और इस पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक का लोड भी नहीं है । इसलिए इसको भेजना उचित प्रतीत नहीं होता है । माननीय सदस्य से आग्रह है कि प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि ट्रैफिक नहीं है । अभी जो नया पुल बना है मुंगेर से साहेबपुर कमाल, ये कितने जिलों को जोड़ता है मुंगेर से जो लोग आयेंगे, पुल क्रॉस करेंगे तो इसी एस०एच० के माध्यम से वह समस्तीपुर और कई जगहों पर जा सकते हैं । यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक लोड है । मेरा एक बार फिर आपके माध्यम से निवेदन होगा कि इस प्रस्ताव को केवल केन्द्र सरकार को भेजना है, प्रस्ताव भेजने में क्या कठिनाई है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट जवाब दिया है । आप अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-04 : श्री हरि भूषण ठाकुर ''बचोल'', स॰वि॰स॰

श्री हरि भूषण ठाकुर ''बचोल'' : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिला के विस्फी प्रखण्ड अन्तर्गत नाहस खंगरैठा में अधूरा स्टेडियम का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ।

श्री आलोक रंजन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिला के विस्फी प्रखण्ड अंतर्गत खंगरैठा में स्वीकृत स्टेडियम के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु जिला पदाधिकारी, मधुबनी से विभागीय पत्रांक-893, दिनांक 29.06.2022 द्वारा सक्षम प्राधिकार द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित पुनरीक्षित विस्तृत प्राक्कलन उपलब्ध कराने की मांग की गई है । प्रस्ताव प्राप्त होते ही नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस लें।

अध्यक्ष : संकल्प वापस ले लीजिये ।

श्री हरि भूषण ठाकुर ''बचोल'' : अध्यक्ष महोदय, वापस ले लेंगे लेकिन पांच महीने से आया हुआ है । जो यह कह रहे हैं कि डी0एम0 साहब से हम प्रस्ताव मांगे हैं, पांच महीने से इनके ऑफिस में वह प्रस्ताव है ।

श्री आलोक रंजन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी नहीं आया है । जैसे ही आयेगा तुरंत उस पर कार्रवाई होगी ।

अध्यक्ष : ठीक है । बड़ा ही सकारात्मक उत्तर है ।

श्री हरि भूषण ठाकुर ''बचोल'' : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-05 : श्री विश्वनाथ राम, स॰वि॰स॰

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-06 : श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, स॰वि॰स॰

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-07 : श्रीमती शालिनी मिश्रा, स॰वि॰स॰

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिलांतर्गत केसरिया विधान सभा क्षेत्र के रघवा नदी (रघवा नाला) की उड़ाही करा कर उस पर रिंग बांध का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत केसरिया विधान सभा क्षेत्र में जल-जमाव से प्रभावित क्षेत्रों का जल निस्सरण मूलत: रघवा नाला के माध्यम से होता है । इस जल निस्सरण नाला में गाद की आंशिक समस्या है, जिससे जल निस्सरण प्रभावित होता है । इस परिप्रेक्ष्य में रघवा नाला के सफाई का कार्य राज्य तकनीकी सलाहकार समिति के द्वारा अनुसंशित है, जिसके आलोक में क्षेत्रीय स्तर पर आवश्यक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसलिए माननीय सदस्या से आग्रह है कि वे अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को धन्यवाद भी देती हूँ, साथ-ही-साथ कहना चाहती हूँ कि यह हमारे क्षेत्र की जनता...

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले रही हैं ?

श्रीमती शालिनी मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, एक लाईन बोल कर वापस लेती हूँ । माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि चिर-प्रतिक्षित मांग है हमारे विधान सभा के जनता की। दशकों से चली आ रही है यह मांग । बाढ़ और जल-जमाव से बचाव के लिए यह बहुत ही आवश्यक है । जल्द-से-जल्द इसको करायें । बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-08 : श्री रामचन्द्र प्रसाद, स॰वि॰स॰</u>

श्री रामचन्द्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिला के हायाघाट विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बहेड़ी प्रखण्ड के पंचायत निमैठी, हरहच्चा, जोरजा, चकवा भरवारी, हथौरी उत्तरी, हथौरी दक्षिणी, रमौली गुजरौली, पघारी, धनौली, ठाठोपुर, मिटूनियाँ, बलीगाँव, सिरूआ, भच्छी, गंगदह शिवराम, बिठौली, सुसारी तुर्की एवं अटहर दक्षिणी पंचायत को अवर निबंधन कार्यालय, बहेरा से हटाकर सदर निबंधन कार्यालय, दरभंगा से रजिस्ट्र कराने की व्यवस्था करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा जिला अंतर्गत बहेड़ी अंचल को अवर निबंधन कार्यालय बहेरा से हटाकर जिला निबंधन कार्यालय, दरभंगा से सम्बद्ध किये जाने के संबंध में समाहर्ता से जिला निबंधक, दरभंगा के द्वारा प्रतिवेदित है कि अवर निबंधन कार्यालय, बहेरा को औसत वार्षिक उपस्थापन 9,748 से घटकर 6,864 दस्तावेज रह जायेगा, जिसके कारण अवर निबंधन

कार्यालय आत्मभारित नहीं रह जायेगा । विदित है कि मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के उपरांत निबंधन कार्यालय, दरभंगा से हटाकर बहेड़ी अंचल को निबंधन कार्यालय, बहेरा में सम्मिलित किये जाने के संबंध में अधिसूचना संख्या-1851, दिनांक 12.06.2020 अधिसूचित किया गया है ।

अत: जिला अवर निबंधन कार्यालय, दरभंगा के क्षेत्राधिकार में बहेड़ी प्रखंड के पंचायतों को सम्मिलित किया जाना उचित नहीं होगा । इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध होगा कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

टर्न-4/संगीता/30.06.2022

श्री रामचन्द्र प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर विषय यह है कि ये पंचायत का नाम लिए हैं निमैठी, हरहच्चा, जोरजा । ये दरभंगा की दूरी है 10 किलोमीटर और बहेड़ा यहां से है 40 किलोमीटर, अब किस परिस्थिति में कैसे किया गया, यह तो सरासर अन्याय हुआ है । वहां किसी हाल में नहीं होना चाहिए था, बताइये निमैठी बगल में है वहां से 10 किलोमीटर की दूरी है, हरहच्चा बगल में है, जोरजा बगल में है या किस कारण से वहां किया गया ? यहां से निमैठी की दूरी, बहैड़ा की दूरी है 40 किलोमीटर और लाडियासराय की दूरी है 8 से 10 किलोमीटर, बताइये 40 किलोमीटर जाने का क्या तुक उठता है ?

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लीजिए, मंत्री जी सुन लिए आपकी बात को ।

श्री रामचन्द्र प्रसाद : नहीं, नहीं बात समझे अध्यक्ष महोदय, लेकिन माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा इसपर पुन: विचार करते हुए ये निबंधन कार्यालय निश्चित रूप से दरभंगा में होना चाहिए क्योंकि ये...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री रामचन्द्र प्रसाद : क्योंकि ये पब्लिक की समस्या है मेरी समस्या नहीं है ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भी कार्यालय खोले जाते हैं तो उनकी कुछ अहर्ताएं होती हैं । अहर्ताएं में दूरी के अलावे जो राजस्व की सालाना वसूली होती है इसके अतिरिक्त जो दस्तावेजों की संख्या होती है वह अहर्ताओं में आती है इसलिए इसमें जो सारी अहर्ताएं पूरा नहीं कर रही थी इस वजह से वर्ष 2020 में यह बदलाव किया गया, वैसे माननीय सदस्य ने कहा है तो हम पुन: विचार करेंगे लेकिन फिलहाल उनसे अनुरोध होगा कि अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री रामचन्द्र प्रसाद : लेते हैं सर लेकिन एक आग्रह...

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-9 : श्री अनिल कुमार, स0वि0स0

श्री अनिल कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बथनाहा विधान सभा के बथनाहा प्रखण्ड के पीताम्बरपुर में लखनदेई नदी पर पुल का निर्माण करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह ग्रामीण कार्य विभाग को स्थानांतरित है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, जवाब उपलब्ध है ?

श्री जयंत राज, मंत्री : नहीं सर, अभी हमारे पास नहीं आया है और माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस लें, हम देख लेंगे ।

अध्यक्ष : वापस ले लीजिए ।

श्री अनिल कुमार : ठीक है सर, हम अपना संकल्प वापस लेते हैं । धन्यवाद सर ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-10 : श्री राम विशुन सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-11 : श्री मो0 नेहालउद्दीन, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-12 : श्री सुदामा प्रसाद, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-13 : श्री श्रीकान्त यादव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-14 : श्री राजीव कुमार सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-15 : श्री रणविजय साहू, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-16 : श्री राजेश कुमार, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-17 : श्री विजय कुमार मंडल, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-18 : श्री इजहारूल हुसैन, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-19 : श्री मनोज कुमार यादव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-20 : श्रीमती मीना कुमारी, स0वि0स0

श्रीमती मीना कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिला के बाबूबरही विधान सभा क्षेत्र के लदनियाँ प्रखण्ड में त्रिशूला नदी पर एकहरी धर्मवन के बीच पुल का निर्माण करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : महोदय, यह ग्रामीण कार्य विभाग को स्थानांतरित है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, असल में कुछ सूचनाएं जो हैं गैर सरकारी संकल्प की, ये स्थानांतरित हो जा रही हैं क्योंकि सरकार में यह जून का जो महीना होता है, यह स्थानांतरण का ही होता है, आप भी मंत्री रहे हैं इसलिए यह स्थानांतरण की बात हो जाती है ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लीजिए, मंत्री जी से मिल लीजिएगा ।

श्रीमती मीना कुमारी : मंत्री जी, आपसे आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी वर्ष 2008 में वहां गए थे तो वहां पर उनकी घोषणा हुई थी और मेरे सुसर जी जो पूर्व पंचायती राज मंत्री स्वर्गीय कपिल देव कामत जी भी बहुत प्रयास किए थे लेकिन किसी कारणवश 2008 के बाद अभी तक यह काम नहीं हो पाया तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि इस काम को जल्द से जल्द पूरा करवा दें । इसके साथ ही मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

अध्यक्ष : ठीक है । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-21 : डॉ0 निक्की हेम्ब्रम, स0वि0स0

डॉ0 निक्की हेम्ब्रम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बांका जिला के बौंसी प्रखण्ड अन्तर्गत दुमका भागलपुर पथ से भलजोर मोड़ भाया डैम रोड से चिरैया मोड़ तक जाने वाली 22 किलोमीटर आर0डब्लू0डी0 के अन्तर्गत संधारित पथ को पी0डब्लू0डी0 में परिवर्तित करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत है । पथ अधिग्रहण की नई नीति, पत्रांक-1548एस0, दिनांक-15.02.2020 के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अपने स्वामित्व वाले पथों का उन्नयन स्वयं कराया जाना है । उक्त पथ का पथ निर्माण विभाग के द्वारा

अधिग्रहण का कोई प्रस्ताव नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध होगा कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

डॉ0 निक्की हेम्ब्रम : माननीय मंत्री जी से यह आग्रह है कि यह जो भाया 22 किलोमीटर रोड है, इसे पथ निर्माण में दे देने से इसपर जो ट्रैफिक कंजेशन ज्यादा हो रहा है, उससे जनता को राहत मिलेगी । मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेती हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-22 : श्री ललित कुमार यादव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-23 : श्री मनोहर प्रसाद सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-24 : श्री अली अशरफ सिद्दिकी, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-25 : श्री मुहम्मद इजहार असफी, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-26 : श्री अवध बिहारी चौधरी, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-27 : श्रीमती मंजु अग्रवाल, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-28 : श्री बागी कुमार वर्मा, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-29 : श्री पवन कुमार यादव, स0वि0स0

श्री पवन कुमार यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह प्रस्तावित गोड्डा महागामा नई रेल लाइन का विस्तार महागामा से एकचारी तक करने के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश करे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, संकल्पाधीन प्रश्न पूर्व रेलवे कोलकाता से संबंधित है । माननीय सदस्य के प्रस्ताव को रेल मंत्रालय से सिफारिश किया जाएगा।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस लें ।

श्री पवन कुमार यादव : माननीय मंत्री जी को धन्यवाद के साथ-साथ प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-30 : श्री सुर्यकान्त पासवान, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-31 : श्री राम रतन सिंह, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-32 : श्री समीर कुमार महासेठ, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-33 : श्री जनक सिंह, स0वि0स0</u>

श्री जनक सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिलान्तर्गत दिघवारा-सेमरी राज्य उच्च पथ 104 के अन्तर्गत पानापुर थाना से प्रखंड कार्यालय पानापुर होते हुए सतजोड़ा बाजार मुख्य पथ का चौड़ीकारण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिलान्तर्गत दिघवाड़ा, भेलदी, अमनौर, तरैया, पुखरेरा, सिमरी बांध पथ एस0एच0-104 की कुल लम्बाई 54 किलोमीटर है । दिघवाड़ा से पुखरेरा तक कुल 22 किलोमीटर पथ की चौड़ाई 7 मीटर है एवं शेष पथांश पुखरेरा से सिमरी बांध तक की लंबाई 12 किलोमीटर में पथ की वर्तमान चौड़ाई 3.75 मीटर है, 12 किलोमीटर के इस पथांश में सी0एम0बी0डी0 अंतर्गत मई, 2022 तक प्रियोडिकल मेंटेनेंस कार्य पूरा करा लिया गया है एवं पथ की स्थिति अच्छी है सम्प्रति चौड़ीकरण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

टर्न-5/सुरज/30.06.2022

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर आया है वह सरासर गलत है । 104 दिघवारा-सेमरी में 12 किलोमीटर का चौड़ीकरण अभी नहीं हुआ है जिसके चौड़ीकरण के लिये प्रस्ताव बनकर आ गया, मैं उस रोड के विषय में नहीं कह रहा हूं । 104 जो पथ है सेमरी-दिघवारा वहां जो थाना है वहां से लेकर सतजोड़ा जो बांगरा घाट पर पुल बना है उसके विषय में हम कह रहे हैं जिसके बीच में प्रखण्ड मुख्यालय है और वह रोड 3 फीट डाउन में है और हमारा प्रखण्ड मुख्यालय जो है विगत 4-5 वर्षों से तरैया में उठकर चला जाता है बरसात के समय में इसलिये हमने कहा कि उसकी चौड़ीकरण हो । हमने कहा कुछ और जवाब आया है कुछ इसलिये उसका तो 12 किलोमीटर का प्रस्ताव अलग है । हम

कह रहे हैं कि पानापुर बाजर से सतजोड़ा भाया प्रखण्ड मुख्यालय पानापुर जो जाकर दिघवारा में माननीय मुख्यमंत्री जी की देखरेख में ही और उनके समय में ही उस पुल का निर्माण हुआ । बांगरा घाट जो...

अध्यक्ष : आप मंत्री जी के संज्ञान में ला दिये, अब प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री जनक सिंह : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं लेकिन आईन्दे से पदाधिकारी इस प्रकार की गलत रिपोर्ट न दें ।

अध्यक्ष : मंत्री जी दिखवा लेंगे । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-34 : श्री रामप्रवेश राय, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-35 : श्री विनय कुमार, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-36 : श्री राज कुमार सिंह, स0वि0स0</u>

श्री राज कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य के सेवानिवृत्त सेवीवर्ग को 5,00,000/-(पांच लाख) रुपये तक की अंतर्वासी चिकित्सा सुविधा सहित कैशलेस कार्ड के माध्यम से मुहैया कराने की व्यवस्था लागू करावे।''

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग संकल्प संख्या....

अध्यक्ष : कहां हैं मंत्री जी ?

श्री सम्राट चौधरी : महोदय, हैदराबाद गये हैं । संकल्प संख्या-944 दिनांक-20.08.2014 द्वारा बिहार सरकार के सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिये प्रावधान किये गये हैं । कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये संबंधित मामला सम्प्रति विचाराधीन है । अत: माननीय सदस्य से आग्रह करेंगे कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री राज कुमार सिंह : महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिये किया क्योंकि जितने भी सेवानिवृत्त कर्मी हैं उनको एक हजार रुपये प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता के रूप में दिया जाता है और सेवानिवृत्त कर्मियों की संख्या लगभग 3 लाख 80 हजार है जिस पर सरकार का 456 करोड़ रुपया खर्च होता है । अगर कैशलेस सुविधा दी जायेगी तो सरकार का खर्च भी कम होगा और कैशलेस सुविधा आज वक्त की मांग है, समीचीन है क्योंकि दुनियाभर में और पूरे देश में कैशलेस के माध्यम से चिकित्सा सुविधा दी जा रही है । आयुष्मान कार्ड के माध्यम से भी 5 लाख तक की जो सुविधा है वह

भी कैशलेस के माध्यम से है इसलिये सेवानिवृत्त कर्मियों को कैशलेस माध्यम से सुविधा दी जाये ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लीजिये अब ।

श्री राज कुमार सिंह : चूंकि मंत्री जी ने सकारात्मक जवाब दिया है इसलिये मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-37 : श्री विजय कुमार, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-38 : श्री आनन्द शंकर सिंह, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-39 : श्री जय प्रकाश यादव, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री विद्या सागर केशरी : महोदय, ऑथराइजेशन दिया हुआ था ।

अध्यक्ष : आया तो नहीं है ।

श्री विद्या सागर केशरी : जी, दिया हुआ था ।

अध्यक्ष : सिर्फ निरंजन राय जी का और आलोक मेहता जी का आया है ।

श्री विद्या सागर केशरी : महोदय, पहले दिया हुआ था उनका पांव फ्रैक्चर कर गया है वह दिये हुये थे ।

अध्यक्ष : आया नहीं है ।

<u>क्रमांक-40 : श्री महबूब आलम, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-41 : श्री अरूण शंकर प्रसाद, स0वि0स0</u>

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जयनगर अनुमंडल स्थित डिग्री कॉलेज डी0बी0 कॉलेज को न्यूनतम आधारभूत संरचना विकास हेतु भवन एवं चहारदीवारी का निर्माण करावे ।''

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम के द्वारा उक्त महाविद्यालय में आधारभूत संरचना के विकास हेतु इसका चयन कर लिया गया है, इसको चिन्हित कर लिया गया है और इसमें आगे की कार्रवाई की जायेगी इसलिये मैं माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, डी0बी0 कॉलेज वहां जयनगर का एक प्रतिष्ठित कॉलेज है । 1960 में उसकी स्थापना हुई और 6 हजार से अधिक छात्र-छात्राएं वहां हैं और छात्रों की संख्या अत्याधिक है । माननीय मुख्यमंत्री जी 19.12.2021 को स्वयं उस महाविद्यालय में उनकी जो सभा हुई थी, उस जनसभा में उन्होंने कहा था कि इसके लिये हम पहल करेंगे और इसका विकास होगा । महोदय, यहां फाइल आया हुआ है, वित्त विभाग में पड़ा हुआ है । माननीय मंत्री जी ने जैसा बताया है और वित्त विभाग से फाइल वापस नहीं हो रहा है जो उस पर कोई कार्रवाई होगी ।

अध्यक्ष : मंत्री जी सकारात्मक जवाब दिये हैं, प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इसको वित्त विभाग से फाइल मंगवाकर शीघ्र उसको स्वीकृत कर दें । चूंकि यूनिवर्सिटी बनने लायक उसके पास 52 एकड़ जमीन है ।

अध्यक्ष : आपके विषय को मंत्री जी संज्ञान में लिये हैं आप अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करते हुये अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-42 : श्री भाई वीरेन्द्र, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-43 : श्री मो0 कामरान, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-44 : श्रीमती गायत्री देवी, स0वि0स0

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखण्ड अन्तर्गत परिहार से भीसवा के जर्जर सड़क को बनवावे ।"

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि रून्नीसैदपुर, पुपरी, सुरसंड, परिहार, भीसवा पथ का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य बी0एस0आर0डी0सी0एल0 के द्वारा कराया जा रहा है । सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखण्ड अन्तर्गत परिहार से भीसवा तक का पथांश राज्य उच्च पथ 87 रून्नीसैदपुर-विसवा पथ कुल लंबाई 67.486 किलोमीटर का हिस्सा है । परिहार से

भीसवा के बीच परिहार विष्णुपुर एवं खैरवामलाही में प्रस्तावित बाईपास का निर्माण कार्य कराया जा रहा है । परिहार से भीसवा तक एग्जीस्टिंग रोड को मोटरेबुल रखने हेतु समय-समय पर मरम्मति का कार्य कराया जाता रहा है । इसके अतिरिक्त विषयगत पथांश का आर0आई0डी0एफ0 अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्राक्कलन 35 करोड़ का तैयार किया जा रहा है, जिसे इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है । अत: माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वह अपना प्रस्ताव वापस लें।

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : वापस ले रही हैं ?

श्रीमती गायत्री देवी : महोदय, वापस तो लेना है ही । मगर जो सड़क है और हमलोगों का मुख्यालय मेन वही है । वहां पर हाई स्कूल है, थाना है सब कुछ है । एक किलोमीटर सड़क है जो मुख्यालय हमलोगों का जाता है और वहां सैकड़ों जनता जो आती है, इतनी हमलोगों को गाली सुननी पड़ती है । मैं आग्रह यही करती हूं मंत्री जी से एक किलोमीटर तो बनवा दिया जाय, उसमें दो फीट अभी पानी है और उस मुख्यालय में हम जा नहीं सकते हैं, कोई नहीं जा सकता है ।

अध्यक्ष : मंत्री जी सुन लिये हैं ।

श्रीमती गायत्री देवी : महोदय, सुन लिये हैं तो आग्रह करते हुये प्रस्ताव वापस लेना है लेकिन एक किलोमीटर तो तत्काल बना दिया जाय ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-45 : श्री विजय कुमार खेमका, स0वि0स0

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र से जल-जमाव निकासी के लिये स्ट्रौम वाटर ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण करावे ।''

टर्न-6/राहुल/30.06.2022

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 के अंतर्गत स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यस्तरीय प्राथमिकता का निर्धारण किया गया है जिसके अंतर्गत प्रथम चरण में 18 नगर निगम क्षेत्रों में स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज योजना का कार्यान्वयन कराया जाना प्रस्तावित है । इसमें नगर निगम पूर्णियां भी सम्मिलित है । राशि की उपलब्धता के आलोक में पूर्णियां में भी स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज योजना का कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा । मैं माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं कि अपना गैर सरकारी संकल्प का प्रस्ताव वापस लें ।

अध्यक्ष : वापस ले रहे हैं ?

श्री विजय कुमार खेमका : माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-46 : श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, स0वि0स0</u>

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के पताही प्रखंड अन्तर्गत पदुमकेर पंचायत के मंगनी चौक से सुगा पीपर बाजार के तरफ जाने वाली सड़क में जरदाहॉ गांव में निर्मित आर0सी0सी0 क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मति करावे ।''

श्री जयंत राज, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना अन्तर्गत वर्ष 2004-05 में किया गया था जो पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-2 के अधीन निर्मित पथ गम्हरिया से खुटौना के चैनेज 2200 मीटर पर अवस्थित है । विगत वर्ष आई बाढ़ के कारण पुल की कट ऑफ वाल क्षतिग्रस्त हो गई थी जिसकी मरम्मति हेतु स्थायी पुनर्स्थापना कार्य कराया जा रहा है । पुल के क्षतिग्रस्त भाग के स्थायी पुनर्स्थापना कार्य हेतु प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है । बाढ़ के उपरांत स्थायी पुनर्स्थापना कार्य कराया जा सकेगा । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : इसके लिए मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-47 : श्री सत्यदेव राम, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-48 : श्री अजय यादव, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-49 : श्री अजीत शर्मा, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-50 : श्री विद्या सागर केशरी, स0वि0स0</u>

श्री विद्या सागर केशरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिला अन्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड के हवाई अड्डा से अम्हारा बाजार होते

हुए खबासपुर बाजार कौआचांड घाट पटेगना होकर धर्मगंज तक पथ अधिग्रहित कर सड़क का चौड़ीकरण करावे ।''

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित प्रश्न चार पथों से संबंधित है । हवाई अड्डा से खबासपुर बाजार तक पथ : उक्त पथ मुरबल्ला से फारबिसगंज पथ का पथांश है । शीर्ष पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-3 के अंतर्गत उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य का प्रावधान है । उक्त पथ का प्राक्कलन एस0टी0ए0 के अनुमोदन उपरांत एन0आर0आई0डी0ए0, नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु समर्पित किया गया है । ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृति के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जानी संभव हो सकेगी । दूसरा, खबासपुर बाजार से पटेगना चौक तक पथ : उक्त पथ के निर्माण हेतु शीर्ष पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-3 के अंतर्गत एम0आर0एल0-98 पटेगना हॉस्पीटल मोड़ से राजवंशी नगर के नाम से ट्रैफिक सर्वे के अनुसार पथ की चौड़ाई 3.75 मीटर प्रावधानित है जिसकी स्वीकृति ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्रदत्त है । तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी । पटेगना चौक से बड़ी पुल तक पथ : उक्त पथ के निर्माण हेतु शीर्ष पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-3 के अंतर्गत एम0आर0एल0-06 पटेगना से धुरधरा टोला के नाम से ट्रैफिक सर्वे के अनुसार पथ की चौड़ाई 3.75 मीटर प्रावधानित है जिसकी स्वीकृति ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्रदत्त है तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी । बड़ी पुल से धर्मगंज तक पथ : उक्त पथ एम0आर0एल0-02 धरदाहा पी0डब्ल्यू0डी0 पथ से बड़ी चौक वाया सौंधी, धर्मगंज पथ का पथांश शीर्ष पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-3 के अंतर्गत उन्नयन एवं चौड़ीकरण का कार्य प्रावधानित है । उक्त पथ का प्राक्कलन एस0टी0ए0 से अनुमोदन उपरांत एन0आर0आई0डी0ए0, नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु समर्पित किया गया है । ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृति के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जानी संभव होगी । अत: उपर्युक्त वर्णित पथों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : वापस ले रहे हैं ?

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, यह सड़क लाइफलाईन है हवाई अड्डा से लेकर कौआचांड घाट तक और इसका जो अटैच है धर्मगंज तक इस सड़क पर काफी भारी वाहनों का आवागमन रहता है जिससे ट्रैफिक की समस्या बनी रहती है इसलिए हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जल्दी से इस सड़क का निर्माण करा दें चूंकि यह सड़क बहुत जर्जर है और लंबी दूरी की सड़क है । लोगों को आने-जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और एक-एक फीट पानी

अभी बरसात का समय है, बाढ़ का समय है । हम लोग नेपाल के तराई क्षेत्र से आते हैं, बाढ़ का पानी एक-एक फीट तक उस रोड पर जमा रहता है, अभी के समय में एक फीट पानी है जब बाढ़ आयेगी तो तीन-चार फीट पानी आ जाता है इसलिए माननीय मंत्री जी से आग्रह है...

अध्यक्ष : बहुत सकारात्मक जवाब है, आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं ?

श्री विद्या सागर केशरी : वापस ले लेंगे । मैं मंत्री जी से...

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-51 : श्री नरेन्द्र नारायण यादव, स0वि0स0

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जिला मधेपुरा अन्तर्गत अंचल चौसा के अधीन ग्राम-रसलपुर धुरिया के कलाशन बाजार से पूरब अनावाद सर्व साधारण बिहार सरकार की जमीन पर उद्योग लगावे ।''

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग ।

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मधेपुरा जिला में अवस्थित 176.98 एकड़ की भूमि औद्योगिक विकास हेतु उद्योग विभाग अथवा बियाडा को अभी तक स्थानांतरित नहीं हुई है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से आग्रह करता हूं कि अविलंब बियाडा में इस जमीन को परिवर्तित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-52 : श्री पंकज कुमार मिश्र, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-53 : श्री उमाकान्त सिंह, स0वि0स0

श्री उमाकान्त सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिम चंपारण जिला अन्तर्गत चनपटिया प्रखंड की मुसहरी सेनवरिया पंचायत से लेकर मझौलिया प्रखंड की डुमरी पंचायत तक सिकरहना नदी के भीषण कटाव से क्षतिग्रस्त बांध का निर्माण कार्य कराकर पक्का ठोकर के साथ-साथ चनपटिया से सुगौली तक बांध पर सड़क का निर्माण कार्य करावे ।''

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिमी चंपारण जिलान्तर्गत चनपटिया प्रखंड के जहानीपुर घाट से मझौलिया प्रखंड के डुमरी तक

मात्र 55 किलोमीटर में जमींदारी बांध निर्मित है जो रूपांतरित सेक्शन में नहीं है । जहानीपुर घाट से सेनवरिया तक कोई तटबंध अवस्थित नहीं है । वर्तमान में प्रश्नगत रीच में तटबंध के पुनर्स्थापन अथवा सड़क निर्माण की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है । मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निसरण, मुजफ्फरपुर को विभागीय पत्रांक-2874, दिनांक-29 जून, 2022 से बाढ़ अवधि के दौरान सतत निगरानी एवं चौकसी बरतने हेतु बांध को सुरक्षित रखने हेतु निर्देशित किया गया है । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

टर्न-7/मुकुल/30.06.2022

श्री उमाकान्त सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जमीन अधिग्रहण कर लिया गया है, वर्ष 1992 में जमीन खरीदी गई थी, माननीय मंत्री जी चाहे तो विभाग में पता कर लें, उस पर एस्टिमेट भी बन चुका है और गंगा नियंत्रण ने, महोदय, मैंने सदन में अनेकों बार गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से सिकरहना नदी के दायें तटबंध के निर्माण कार्य हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया, लेकिन पदाधिकारियों के द्वारा इस कार्य में काफी लापरवाही की जा रही है । महोदय, गंगा नियंत्रण आयोग द्वारा जो योजना प्रतिवेदन के तकनीकी समीक्षा के क्रम में कुछ बिंदुओं पर सुधार हेतु जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों को तीन बार पत्र लिखा गया, मैंने भी अनेकों बार सुधार के लिए...

अध्यक्ष : आप माननीय मंत्री जी को डिटेल विवरण दे दीजिएगा । अभी आप प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री उमाकान्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि उसका एस्टीमेट बन चुका है, सारी चीज अंतिम प्रक्रिया में है, सिर्फ थोड़ा सा शुद्धिकरण करने के लिए 239 करोड़ का प्राक्कलन बनकर तैयार है, उसमें गंगा नियंत्रण ऊपर में है और नीचे में इनका ऑफिस है और मैं 6 महीनों में 3 बार इनको पत्र दे चुका हूं । लेकिन थोड़ा सा शुद्धिकरण करने के लिए, जवाब नहीं जाने के कारण वह प्रशासनिक में नहीं जा रहा है, टेंडर में नहीं जा रहा है ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्य, यह विषय माननीय मंत्री जी के संज्ञान में आ गया है । अब आप प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री उमाकान्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी इन सब बातों को जान भी रहे हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है । अब आप प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री उमाकान्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-54 : श्रीमती रेखा देवी, स0वि0स0

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

क्रमांक-55 : श्री महा नंद सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-56 : श्री सुधाकर सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-57 : श्री अजय कुमार, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री ललित नारायण मंडल ।

क्रमांक-58 : श्री ललित नारायण मंडल, स0वि0स0

श्री ललित नारायण मंडल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिलान्तर्गत सुलतानगंज शहर का नाम बदलकर अजगैवीनाथ धाम रखे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, यह एक नगर निकाय से जुड़ा हुआ मामला है और यह सामान्य पद्धति है कि नगर निकाय इस संबंध में निर्णय लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को देगी तो सरकार उस पर विचार करेगी । अभी माननीय सदस्य से अनुरोध है कि ये अपना प्रस्ताव वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री ललित नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के आश्वासन पर हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-59 : श्री शकील अहमद खां, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-60 : श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-61 : श्री अरूण सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-62 : डॉ0 संजीव चौरसिया, स0वि0स0

डॉ0 संजीव चौरसिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वर्तमान में उपयोग हो रहे बिहार सरकार के लोगो के स्थान पर संसद भवन के सेन्ट्रल हॉल में प्रदर्शित बिहार सरकार के वास्तविक (मूल) लोगो का रूप प्रदर्शित करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, गृह विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह मंत्रिमंडल सचिवालय में स्थानांतरित है, लेकिन सरकार के यहां अभी कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, अगर कोई ऐसा प्रस्ताव कहीं से आता है तो हम इस पर विचार करेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्य, मंत्री जी का सकारात्मक जवाब है, आप अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

डॉ0 संजीव चौरसिया : अध्यक्ष महोदय, जी । चूंकि बिहार सरकार में अभी उपयोग हो रहा है, पहले सेन्ट्रल में और लोकसभा में...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि प्रस्ताव आयेगा तो इस पर विचार करेंगे, यह इनका सकारात्मक आश्वासन है । अब आप बैठ जाइये ।

डॉ0 संजीव चौरसिया : अध्यक्ष महोदय, ठीक है । हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-63 : श्री नरेन्द्र कुमार नीरज, स0वि0स0

श्री नरेन्द्र कुमार नीरज : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिलान्तर्गत गोपालपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत गंगा नदी में विक्रमशीला सेतु से कटारी तिनटंगा तक बने बांध में बोल्डर पीचींग एवं बांध के ऊपर पक्की सड़क का निर्माण करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर जिलान्तर्गत विक्रमशीला सेतु के डाउन स्ट्रीम में गंगा नदी के बायें किनारे जाह्नवी चौक से तिनटंगा करारी जो बिंद टोली तक तटबंध की कुल लम्बाई 18.38 किलोमीटर है, इसके बीच में इस्माइलपुर अवस्थित है । इस्माइलपुर से बिंद टोली तक 8.26 किलोमीटर में तटबंध पूर्व से निर्मित है तथा इस्माइलपुर से बिंद टोली तक संवेदनशील स्थलों 3.56 किलोमीटर से 8.26 किलोमीटर तक सुरक्षात्मक कार्य

कराया जा चुका है । जाह्नवी चौक से इस्माइलपुर तक 10.12 किलोमीटर में तटबंध निर्माण के साथ-साथ सुरक्षात्मक कार्य प्रगति में है । जाह्नवी चौक से इस्माइलपुर तक तटबंध पर बाढ़ प्रबंधन योजना के तहत जी0एस0बी0 कराने का प्रस्ताव जी0एफ0सी0सी0 (गंगा फ्लड कंट्रोल कमिशन) को तकनीकी एप्रेजल हेतु समर्पित किया गया है, तकनीकी एप्रेजल के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि ये अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री नरेन्द्र कुमार नीरज : अध्यक्ष महोदय, हम अपना प्रस्ताव वापस ले लेते हैं । यह बात है कि वह गरीब इलाका है, अति पिछड़ा का इलाका है और वहां के लोग सब्जी की खेती करते हैं । अगर बांध रिपेयर नहीं होगा तो पूरा इलाका जलमग्न हो जायेगा, वह रिपेयर तो हो ही रहा है, बोल्डर पीचींग अतिआवश्यक है गंगा के कटाव को बचाने के लिए और रोड का कालीकरण हो जाने से 20 किलोमीटर घूमकर लोग साइकिल पर आते हैं तो यह नहीं होगा, इससे लोग आराम से भागलपुर पहुंच जायेंगे । इसलिए मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि इस पर ध्यान दिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री नरेन्द्र कुमार नीरज : अध्यक्ष महोदय, हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-64 : श्री नीतीश मिश्रा, स0वि0स0

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना के तहत मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर विधान सभा क्षेत्र में स्थानीय उत्पादों का कलस्टर स्थापित करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग ।

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में आर्थिक विकास एवं स्वरोजगार सृजन के क्षेत्र में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग प्रक्षेत्र से जुड़े हुए उद्यमियों को राष्ट्रीय बाजार की मांग एवं उसके अनुरूप नई तकनीकी, अद्यतन तकनीकी के प्लांट, मशीनरी, पैकेजिंग प्रक्रिया, कौशल और गुणवत्ता में सुधार करने की जानकारी उपलब्ध कराने, डिजाइन केन्द्र, जांच केन्द्र, ई0टी0पी0, प्रशिक्षण केन्द्र, कच्चा माल डिपो की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने, जिससे वे अपने उत्पादन को गुणवत्ता एवं उनके प्रस्तुति को आकर्षण बना सके, जिससे ग्राहक और अधिक आकर्षित हो सकें एवं उन्हें उत्पादनों की उचित एवं वांछित लाभ प्राप्त हो सके । इसके उद्देश्य से मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना

के अंतर्गत सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना स्वीकृति संकल्प संख्या-4773, दिनांक-28.10.2013 द्वारा प्रदान की गई है । मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना के संकल्प संख्या-4773, दिनांक-28.10.2013 द्वारा योजनान्तर्गत सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना एवं कार्यान्वयन में संबंधित दिशा-निर्देश निर्गत है । उक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए प्राप्त कलस्टरों के प्रस्ताव पर नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान है ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट का समय लेना चाहूंगा । माननीय प्रधानमंत्री जी का लगातार जोर है कि स्थानीय उत्पाद के लिए वोकल होना है और अभी जर्मनी में भी जी-7 की जो बैठक हुई तो उन्होंने स्थानीय उत्पादी उपहार स्वरूप जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको उन्होंने दिया । मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना ही आग्रह करूंगा कि यह बहुत बड़ी योजना है और स्थानीय उत्पादों को एक बहुत बड़ा बाजार मिलेगा और जो कारीगर हैं उनको भी हुनर बढ़ाने का एक अवसर मिलेगा । अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रस्ताव का मूल उद्देश्य यही था कि झंझारपुर विधान सभा में एक असेसमेंट हो जाय, जैसे मिथिला पेंटिंग है, जिसे मधुबनी पेंटिंग कहते हैं । हमारे क्षेत्र में सिक्की कला बहुत जोर-शोर से उसका वहां पर कारीगर काम कर रहे हैं, उसका एक असेसमेंट कर लें और जो एक फैसीलिटी सेंटर जो माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में दिया है वह स्थानीय जो उत्पाद हैं उसका एक असेसमेंट कराकर जो उत्पाद वहां पर होते हैं उसके लिए वहां पर एक सर्वेक्षण के बाद उसको वे बढ़ावा दें और मुझे विश्वास है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने उद्योग मंत्री रहते हुए बहुत अच्छा काम किया है तो मेरे इस प्रस्ताव पर वह जरूर विचार करेंगी और विभाग को असेसमेंट करने के लिए निर्देश देंगी । इस उम्मीद के साथ कि मिथिला क्षेत्र में उद्योग कलस्टर की स्थापना हो, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री संजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक सूचना देनी है कि अभी जिस लघु उद्योग की बात हो रही है । पूरा देश आज...

अध्यक्ष : बैठ जाइये, बिना अनुमति के नहीं बोलिये । माननीय सदस्य, श्री हरि शंकर यादव ।

क्रमांक-65 : श्री हरि शंकर यादव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-66 : श्री मुकेश कुमार यादव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-67 : श्री संदीप सौरभ, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

टर्न-8/यानपति/30.06.2022

<u>क्रमांक-68 : श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव, स0वि0स0</u>

श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कोशी नदी पर अवस्थित कोशी बराज का उम्र तकनीकी दृष्टिकोण से पूरा हो जाने के कारण सरकार कोशी नदी पर वैकल्पिक बराज का निर्माण करावे ।''

श्री संजय कुमार झा, मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, कोशी नदी पर बराज का निर्माण भीमनगर के नजदीक कोशी नदी की धारा को बार-बार परिवर्तित होने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु किया गया था । कोशी बराज का निर्माण कार्य सन् 1963 में पूर्ण हुआ, इस बराज का डिजाइन सुप्रीम ऐंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता द्वारा किया गया । वर्तमान में कोशी बराज के द्वारा बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई का कार्य किया जा रहा है । सामान्यत: बराज संरचना एवं इसके अवयव संरचनाओं संबंधित योजनाओं का इकोनॉमिक लाइफ 50 वर्ष मानकर योजनाओं का सूत्रीकरण किया जाता है परंतु योजना का भौतिक जीवनकाल इससे अधिक लंबा माना जाता है । वर्तमान में बीरपुर स्थित कोशी बराज क्रियाशील है । केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली, केंद्रीय जल एवं विद्युत प्रतिष्ठान संस्थान पुणे एवं गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर 2008 को कोशी बराज एवं इसके अवयवों के निरीक्षणोपरांत दिए गए अनुशंसा के आलोक में कोशी बराज का सुरक्षात्मक कार्य वर्ष 2009 में कराया गया है । कोशी बराज की संरचना सहित विभिन्न अवयवों के अवशेष उम्र रिशेड्यूल लाइफ का आकलन सेफ्टी ऐक्ट के तहत कराने का विचार है जो बिहार सरकार 2006 में ही डैम सेफ्टी ऐक्ट उस समय की सरकार द्वारा लाया गया था । प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आवश्यक अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी । वर्तमान में वैकल्पिक बराज निर्माण का कोई विचार नहीं है । इसलिए सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें ।

अध्यक्ष: प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, जिस समय इस बराज का निर्माण शुरू हुआ था तो उस समय इंजीनियरों ने बताया था कि 30 साल तक यह चलेगा । इसके आगे दूसरा बराज बनाना पड़ेगा लेकिन मंत्री जी बोले हैं उसका 50 वर्ष का था लेकिन यह 60-62 वर्ष हो गया है, बराज पुराना हो गया है, बराज की वैकल्पिक व्यवस्था

नहीं होने से यदि कोई वहां घटना होती है तो अररिया, सुपौल, मधुबनी, सहरसा इन सारे जिलों का, चारों-पांचों जिलों का जलमग्न हो जाएगा, बर्बादी हो जाएगी बहुत सारे जिलों की । इसलिए मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि इसपर ध्यान देकर आगे की कार्रवाई करावें और इसके साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-69 : श्री विनय बिहारी, स0वि0स0

श्री विनय बिहारी: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य सरकार लघु उद्योग व्यापार शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/जनजाति/अतिपिछड़ा वर्ग/महिला/युवा उद्यमी योजना 2022 के तहत बिहार के उद्यमियों को 10 लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता चयन लॉटरी की व्यवस्था को परिवर्तन कर जन्मतिथि वर्ष के आधार पर चयन प्रक्रिया लागू करावे ।"

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति उद्यमी, अनुसूचित जनजाति उद्यमी, अतिपिछड़ा उद्यमी, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत अभ्यर्थी के चयन की पूरी पारदर्शिता के साथ समरूपता बनाने के लिए लॉटरी के माध्यम से चयन का प्रावधान किया गया और इसके अंतर्गत योग्यता संबंधी मांगे गए वांछित कागजातों के आधार पर चयन हेतु योग्य पाए गए आवेदकों को यह चयन का, सम्मान का समान अवसर दिया जाता है ।

श्री विनय बिहारी: अध्यक्ष महोदय, मैं लॉटरी की पारदर्शिता पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं । मैं यह कह रहा हूं कि जो युवा उद्यमी हैं और जो 50 साल के उद्यमी हैं तो एक कार्य का जो अनुभव होता है वह अलग तरीके का होता है । एक आदमी इंटर पास किया और आ गया और एक आदमी इस उद्योग में रहकर के 10 साल, 20 साल, 30 साल का उसका अनुभव है तो मेरा यह कहना है कि जन्मतिथि के आधार पर अगर ऐसा किया जाता है तो अनुभवी उद्यमी को इसका लाभ मिलेगा और उसका लाभ हमारी सरकार को मिलेगा ।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो योजना चलाई थी । मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/जनजाति योजना और मुख्यमंत्री अतिपिछड़ा उद्यमी योजना बाद में दो नई योजनाएं इसमें जुड़ीं और उसका बजट भी बढ़ा दिया । अब करीब 8 सौ करोड़ बांटना था उसकी जगह 16 सौ करोड़ दिया और एप्लिकेशन 64 हजार आ गए और पारदर्शिता से देना था । इसके लिए हमलोगों ने पूरा लाइव उसको किया, सोशल मीडिया पर सबलोग बैठे । डी0आई0ए0, चैंबर ऑफ कॉमर्स, लघु उद्योग भारती सबके अधिकारी बैठे और सब ने देखा इतनी पारदर्शिता से 16

हजार लोगों को यह दिया गया तो इसमें 8 हजार की जगह 16 हजार दिया और जो लोग भी दे रहे हैं वह पूरी तरह ये, इससे बहुत ज्यादा रोजगार का सृजन होगा, उसका पैमाना हमलोगों ने देख लिया है और 18 से 50 की आयु रखी गयी है । जो भी अप्लाई करता है उसको इसका लाभ होता है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन के अंदर आ गए)

श्री विनय बिहारी: अध्यक्ष महोदय, मैं न राशि की बात कर रहा हूं और न पारदर्शिता की बात कर रहा हूं । मैं यह कह रहा हूं कि जन्मतिथि के आधार पर जो योग्य और अनुभवी उद्यमी हैं उनको लाभ मिलेगा इसलिए सरकार इस बात पर ध्यान दे और इसी बात के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-70 : श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, स0वि0स0

श्री प्रमोद कुमार सिन्हा: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के आदापुर प्रखण्ड अन्तर्गत आदापुर रेलवे फुट ओवर ब्रिज को विस्तार करने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे ।"

श्री जिवेश कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, संकल्पाधीन प्रश्न पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर से संबंधित है, माननीय विधायक जी के प्रस्ताव को रेल मंत्रालय से सिफारिश किया जाएगा अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि वह अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-71 : श्री अनिल कुमार, स0वि0स0

श्री अनिल कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिला अन्तर्गत कोंच प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना करावे ।"

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, राज्य सरकार की वर्तमान नीति वैसे अनुमंडलों में जहां एक भी डिग्री महाविद्यालय नहीं है वहां डिग्री महाविद्यालय खोलने की है । अभी प्रखंड स्तर पर डिग्री महाविद्यालय खोलने की योजना नहीं है, पहले अनुमंडल में हो जाता है फिर हमलोग प्रखंड पर विचार करेंगे इसलिए अभी माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री अनिल कुमार: अध्यक्ष महोदय, कोंच प्रखंड गया जिला के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है और वहां पर एकमात्र कॉलेज टेकारी अनुमंडल में है । कोंच प्रखंड में न कोई एफलिएटेड कॉलेज है न कोई कॉन्सटिटुएंट कॉलेज है । वहां से देवरा की दूरी

30-35 कि0मी0 है । इंटर के बाद बच्चे-बच्चियों की पढ़ाई बंद हो जाती है । यह नक्सल प्रभावित क्षेत्र की सूची में है इसलिए हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि डिग्री कॉलेज हेतु वहां विचार करें । प्रस्ताव वापस करते हैं माननीय मंत्री जी का विचार करते हुए ।

अध्यक्षः सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-72 : श्री विजय शंकर दूबे, स0वि0स0

श्री विजय शंकर दूबेः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सिवान जिलान्तर्गत महाराजगंज प्रखण्ड के जगदीशपुर एवं धनछुहाँ गांव को नगर पंचायत महाराजगंज में सम्मिलित करावे ।"

टर्न-9/अंजली/30.06.2022

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, सीवान जिलान्तर्गत महाराजगंज प्रखंड के नाम जगदीशपुर एवं धनछुहां को नगर पंचायत महाराजगंज में सम्मिलित किये जाने के संबंध में जिला पदाधिकारी सीवान से जांच प्रतिवेदन की मांग विभागीय पत्रांक-1609, दिनांक- 16.06.2022 द्वारा की गई है । जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई करने पर विचार किया जा सकेगा । इसलिए माननीय सदस्य से मैं आग्रह करती हूं कि अपना संकल्प वापस लें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइए । एक आग्रह तो जरूर करेंगे कि नेता जब कुछ कहते हैं तो सब को सुनना चाहिए । कल आप भी उस जगह पर बैठेंगे । सदन की यही गरिमा और खूबसूरती होती है । सभी सदस्य हमारे इस सदन के बहुत महत्वपूर्ण हैं । माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, जहां तक मुझे जानकारी है कलेक्टर की रिपोर्ट सरकार के समक्ष आ चुकी है ।

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : नहीं माननीय सदस्य, अभी मैंने यहां से पत्रांक-1609, दिनांक-16.06.2022 द्वारा हमने उनको पत्र भेजा है, अगर उनका लेटर आता है तो निश्चित नियमानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी ।

श्री विजय शंकर दूबे : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य, श्री अमर कुमार पासवान ।

क्रमांक-73 : श्री अमर कुमार पासवान, स0वि0स0

श्री अमर कुमार पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिला के प्रखंड मुशहरी ग्राम-दिघरा, तरौरा गोपालपुर, सूतिहारा चौरों से वर्षा बाढ़ और नगर क्षेत्र मुजफ्फरपुर के पानी बहाव से कृषि भूमि पर जल संचयन, जल संरक्षण के तहत जल निकासी कराकर बूढ़ी गंडक नदी में मिलाने का कार्य करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न है हमारे विभाग से संबंधित नहीं है ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : इसका वस्तुस्थिति नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित नहीं है । अत: प्रश्नगत मामला अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु हस्तांतरित की जा रही है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नहीं-नहीं, यह ट्रांसफर हुआ है उसकी सूचना दे रहे हैं । माननीय मंत्री जी, जवाब देंगे ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मुशहरी प्रखंड के ग्राम-दिघरा, तरौरा गोपालपुर...

(व्यवधान)

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

इनके प्रश्न का ही जवाब दे रहा हूं । सूतिहारा चौरों में बाढ़ अवधि में अत्यधिक वर्षापात होने पर जल जमाव की समस्या उत्पन्न होती है । बाढ़ अवधि के उपरांत पानी धीरे-धीरे सूख जाता है । मुख्य अभियंता बाढ़ नियंत्रण एवं जल निसरण मुजफ्फरपुर को विभागीय पत्रांक-2873, दिनांक-29.06.2022 से प्रश्नगत क्षेत्र से जल निकासी की आवश्यकता के आकलन हेतु विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित करने के लिए निदेशित किया गया है । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री अमर कुमार पासवान : महोदय, स्मार्ट सिटी के तहत यह पूरा का पूरा पानी हमारे पंचायतों में चला जाता है तो कृपया इस पर ध्यान देते हुए, अगले आदेश तक इसको पारित करवाया जाय और मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्या, श्रीमती निशा सिंह ।

श्री भाई वीरेन्द्र : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप सूचना पढ़ें...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : यह होने दीजिए न ।

क्रमांक-74 : श्रीमती निशा सिंह, स0वि0स0

श्रीमती निशा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिलान्तर्गत प्राणपुर प्रखंड के गौरीपुर पंचायत के सोनापुर मोड़ पर पुलिस चौकी का निर्माण करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिलान्तर्गत सोनापुर मोड़, प्राणपुर प्रखंड के रोसना ओ0पी0 से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है एवं सोनापुर मोड़ से 300 मीटर की दूरी पर पश्चिम बंगाल राज्य का कुवैतपुर थाना स्थित है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति-शांति ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : सोनापुर मोड़ से विशेष निगरानी हेतु स्थानीय चौकीदार की प्रतिनियुक्ति की गई है एवं पुलिस गश्ती के द्वारा भी कड़ी नजर रखी जा रही है । विगत वर्ष 2016 से वर्ष 2021 तक सोनापुर मोड़ एवं इसके आसपास के गांव में डकैती के दो, बलात्कार के एक, महिला अत्याचार के संबंध में चार एवं विविध शीर्षों के अंतर्गत 18 कांड प्रतिवेदित हुए हैं । उक्त आपराधिक आंकड़ों से स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में अपराध एवं विधि व्यवस्था नियंत्रण में है । वर्तमान में सोनापुर मोड़ पर पुलिस चौकी की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है । अत: माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्रीमती निशा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा कि वहां पर वह सीमावर्ती क्षेत्र है बंगाल और बिहार का बॉर्डर है, अगर वहां पर पुलिस चौकी की व्यवस्था की जाय, तो वह बहुत जरूरत है और हम माननीय मंत्री जी से फिर से आग्रह करते हैं कि इस विषय में फिर से सोचें तथा मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेती हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य, डॉ0 रामानुज प्रसाद ।

क्रमांक-75 : डॉ0 रामानुज प्रसाद, स0वि0स0

डॉ0 रामानुज प्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिला के दिघवारा प्रखंड अंतर्गत बस्तीजलाल पंचायत के उन्नहचक बाजार (एन0एच0-19) से कुरैया पंचायत के विशुनपुर ग्राम के बीच माही नदी पर आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करावे ।"

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, यह ग्रामीण कार्य विभाग को हस्तांतरित है ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी यह प्रस्ताव उनके यहां से हमारे यहां पर नहीं आया है । अभी माननीय सदस्य से अनुरोध होगा कि प्रस्ताव वापस लें और हमलोग देख लेंगे कि क्या हो सकता है ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको भी संज्ञान में देना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी को भी, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में है । उन्होंने भी अपने दरबार से इसको बनाने का आदेश दिया है । अगर हस्तांतरित भी हुआ है ग्रामीण कार्य विभाग का ही काम है । यह लिस्ट ही हुआ पथ निर्माण में जो गलत हुआ । यह हमने लिखा था ग्रामीण कार्य को तो यह ग्रामीण कार्य विभाग का ही है तो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि बात करेंगे तो मैं आपके संज्ञान में और आपके विभाग से आया हुआ है ।

उपाध्यक्ष : बात कर लीजिएगा ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : इसको मैं वापस करता हूं लेकिन माननीय मंत्री जी इसको अपने संज्ञान में रखें, इस पुल को बनवा दें । माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यह है, उनके जनता दरबार में कई पेटीशन गया है इस संबंध में । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य, श्री छत्रपति यादव ।

क्रमांक-76 : श्री छत्रपति यादव, स0वि0स0

श्री छत्रपति यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह खगड़िया जिलान्तर्गत बखरी ढाला रेलवे गुमटी पर आर0ओ0बी0 निर्माण हेतु भारत सरकार से सिफारिश करे ।"

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : जिन माननीय सदस्यों का गैर सरकारी संकल्प छूट गया है, सभी का आएगा, सभी का लेंगे, घबराइए नहीं, आराम से बैठिए ।

श्री सत्यदेव राम : हमलोग लेना ही नहीं चाहते हैं, हम तो जानते हैं कि सरकार कहेगी कि आप संकल्प वापस लीजिए ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : नहीं-नहीं, धैर्य रखिए । सरकार सब सुनती है, धीरे-धीरे सब काम होगा । जो स्वीकृत करने लायक है वह स्वीकृत होगी ।

(व्यवधान)

अच्छा अभी गैर सरकारी संकल्प होने दीजिए ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि खगड़िया जिलान्तर्गत रेलवे गुमटी 24 पर आर0ओ0बी0 निर्माण बिहार सरकार एवं रेलवे के बीच हस्तांतरित एम0ओ0यू0 अंतर्गत है । रेलवे के द्वारा जी0ए0डी0 का अनुमोदन कर दिया गया है तथा डी0पी0आर0 का जो काम है वह प्रक्रियाधीन है । डी0पी0आर0 के अनुमोदन के पश्चात निविदा कार्य प्रारंभ किया जाएगा । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

उपाध्यक्ष : सकारात्मक जवाब है ।

श्री छत्रपति यादव : उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहेंगे सरकार इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे ताकि खगड़िया शहर का यातायात की जाम समस्या से जल्दी से जल्दी निजात पा सके । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-10/सत्येन्द्र/30-06-22

<u>क्रमांक-77 (श्री रामबली सिंह यादव, स0वि0स0)</u>

(अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-78 (श्री प्रणव कुमार, स0वि0स0)</u>

श्री प्रणव कुमार: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुंगेर जिलान्तर्गत जमालपुर मुंगेर खगड़िया रेल मार्ग में पूर्व से अवस्थित सफियाबाद हॉल्ट को पुनः चालू किये जाने हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करे ।"

उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री: संकल्पाधीन प्रश्न पूर्व रेलवे से संबंधित है । साफियाबाद हॉल्ट को पुन: चालू किये जाने हेतु सिफारिश किया जायेगा । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री प्रणव कुमार: मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-79 (श्री कुमार शैलेन्द्र, स0वि0स0)

श्री कुमार शैलेन्द्र: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिलान्तर्गत खरीक प्रखंड में चोरहर के पास कोशीधार में बने पुल के पास से भवनपुरा होते हुए कहारपुर तक जाने वाली सड़क का निर्माण करावे ।''

उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ दो पथों से संबंधित है । चोरहर के पास कोशी धार पर बने पुल के पास भवनपुरा तक, उक्त पथ शीर्ष एम0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत निर्मित मो0 मुकुसुद्दीन साह के घर से मुरलीधर ठाकुर के घर तक का पथांश है । पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के अधीन है एवं अनुरक्षण कार्य कराया जा रहा है । भवनपुरा से कहरपुर तक, उक्त पथ के आरेखन पर कहरपुरा गांव अवस्थित है जिससे छुटे हुए बसावट को सम्पर्कता प्रदान करने हेतु विभागीय सर्वे कार्य करा लिया गया है जिसका सर्वेक्षण आई0डी0 163/15 है । तदनुसार समीक्षोपरांत अग्रेत्तर कार्रवाई किया जाना संभव होगा। अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री कुमार शैलेन्द्र: उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की प्रायोरिटी है कि प्रत्येक बसावट में कम से कम सिंगल कनेक्टिविटी हो लेकिन आजतक उसका मुख्य सड़क से सम्पर्क नहीं हो सका है और उपाध्यक्ष महोदय, उक्त गांव अत्यंत पिछड़ा और महादलित का है महोदय..

उपाध्यक्ष: ठीक है, वापस लीजिये ।

श्री कुमार शैलेन्द्र: एक मिनट सुन लिया जाये महोदय, बहुत सदस्य अनुपस्थित हैं महोदय, उनका भी तो समय बचा हुआ है महोदय इसलिए सुन लिया जाये महोदय । माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि हमने उसका सर्वेक्षण करवाया है तो मैं मंत्री महोदय से केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि यह बहुत दिनों से लंबित है और मुख्यमंत्री जी योजना है कि कम से कम एक सिंगल कनेक्टिविटी हो गांव

में लेकिन आजतक उस गांव में, पांच हजार आबादी वाले गांव में आजतक वहां सड़क नहीं बन पाया है और वह अधूरा है । माननीय मंत्री महोदय के आश्वासन पर मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-80(श्री मो0 आफाक आलम, स0वि0स0)

श्री मो0 आफाक आलम: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णियां जिलान्तर्गत कसबा प्रखंड के गड़बनैली फोरलेन से पूरब मलहरिया पंचायत जाने वाली सड़क के ध्वस्त पुल का निर्माण कराये। "

उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जंयत राज, मंत्री: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल एन0एच0 57 से, कसबा से मलहड़िया पथ के आरेखन पर अवस्थिति है । पथ की मरम्मति के साथ उक्त पुल के निर्माण हेतु प्राक्कलन बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति, 2018 के अन्तर्गत प्राप्त है । समीक्षोपरांत अग्रेत्तर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा । अत: वर्णित तथ्यों के आलोक माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री मो0 आफाक आलम: ठीक है, जितना जल्दी हो सके करवा दीजिये ।

उपाध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-81 (श्री मनोज मंजिल, स0वि0स0)

(अनुपस्थित)

क्रमांक-82 (श्री राणा रणधीर, स0वि0स0)

श्री राणा रणधीर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार विधान-सभा भवन के ऐतिहासिक 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बिहार विधान-सभा का अपना संग्रहालय निर्माण करावे ।"

उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ।

श्री आलोक रंजन, मंत्री: उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति है कि वर्तमान में कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार के पास बिहार विधान-सभा भवन के ऐतिहासिक 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बिहार विधान-सभा के संग्रहालय निर्माण की कोई योजना नहीं है । अत: माननीय सदस्य आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री राणा रणधीर: उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस ले लूंगा लेकिन कितने आइकोनिक बिल्डिंग बिहार में बन रहे हैं और इसका 100 वर्ष पूरा हुआ है तो सरकार संज्ञान

में रखे और ऐसे अवसर पर एक संग्रहालय बन जाय तो हम सदस्यों का भी जो सदन में बोलते हैं, उसका भी संग्रह बढ़िया तरीके से होगा । वापस लेता हूँ लेकिन इसको संज्ञान में सरकार ले ।

उपाध्यक्षः सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 83 (श्री निरंजन राय, स0वि0स0)

उपाध्यक्षः मो0 इसराईल मंसूरी साहब प्राधिकृत हैं, बोलें ।

श्री मो0 इसराईल मंसूरीः उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत गायघाट विधान-सभा क्षेत्र में उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु महंथ रामदास इंटर कॉलेज, कांटी को डिग्री कॉलेज की दर्जा दिलावे ।''

उपाध्यक्षः माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः महोदय, हमने पहले भी कहा था कि अभी सिर्फ वैसे अनुमंडलों में जहां एक भी डिग्री महाविद्यालय नहीं है, सरकार डिग्री महाविद्यालय खोलती है अपने इनिसियेटिव पर, चूंकि वहां मुजफ्रपुर पूर्वी में कई डिग्री के कॉलेज चल रहे हैं इसलिए इस महाविद्यालय को डिग्री महाविद्यालय बनाने की सरकार की कोई योजना नहीं है । इसलिए हम अनुरोध करते हैं इसराईल मंसूरी जी से कि आप निरंजन राय जी के तरफ से इस प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री मो0 इसराईल मंसूरीः ठीक है सर लेकिन बाढ़ इलाका है, इस पर विचार किया जाय ।

उपाध्यक्षः सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-84 (श्री राहुल तिवारी, स0वि0स0)

(अनुपस्थित)

क्रमांक-85(श्री अखतरूल ईमान, स0वि0स0)

श्री अखतरूल ईमानः उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अमौर विधान-सभा क्षेत्र अन्तर्गत हरिपुर-मलहाना पथ (पैकेज नं0 बी0आर0 12813) एवं कसबा-गेरूआ पथ (पैकेज नं0 बी0आर027आर0 250) पर पुलों के निर्माण से नदियों का धारा बदलने के कारण नदी में रिवर ट्रेंचिंग कर पायलट चैनल का निर्माण करावे ।''

उपाध्यक्षः माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री अखतरूल ईमानः मेरे में तो जल संसाधन लिखा हुआ है दोनों का साझा काम है ।

श्री जयंत राज,मंत्री: अभी आया नहीं है महोदय इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री अखतरूल ईमान: उपाध्यक्ष महोदय, ये दोनों जगह के पुल का कार्य 7-8 साल से लटक रहे हैं और 1 लाख से ज्यादा की संख्या इससे प्रभावित है महोदय इसलिए हम आपसे संरक्षण चाहेंगे कि भले ही मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ लेकिन इस कार्य को कराने में सरकार संवेदनशीलता दिखलायें । नौ साल से सरकार का मजाक उड़ा रहा है जो यहां दोनों पुल का कार्य लटका हुआ है । मैंने कल माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा है इसलिए इसको संज्ञान में लिया जाय । मैं इसे वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-86 (श्री कृष्ण कुमार ऋषि, स0वि0स0)

श्री कृष्ण कुमार ऋषि: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णियां जिलान्तर्गत बनमनखी प्रखंड में बंद चीनी मिल की जमीन पर उद्योग लगावे ।"

उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री, उद्योग विभाग ।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री: महोदय, पूर्णियां जिलान्तर्गत बनमनखी प्रखंड में बंद चीनी मिल पर आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के माध्यम से चाहरदिवारी, गेट, गार्ड रूम निर्माण के लिए हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है । इसका टेंडर हो गया है, प्रशासनिक स्वीकृति हो रही है, 5 करोड़ 50 लाख 60 हजार की लागत से उसकी बाउंड्री करने जा रहे हैं और इसका निष्पादन जल्द होने जा रहा है तथा वहां बहुत सारे उद्योग भी लगने जा रहे हैं ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि: उपाध्यक्ष महोदय, एक आग्रह मैं करना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि बिहार में जितने चीनी मिल की जमीन है, बनमनखी चीनी मिल के जमीन का रेट सबसे अधिक है जिसके चलते कोई भी बाहर से उद्योगपति यहां नहीं आ रहे हैं इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि वह जमीन का रेट कम करवा दीजिये जिससे कि बाहर के उद्योगपति आकर वहां उस पर उद्योग लगा सकें ।

टर्न-11/मधुप/30.06.2022

उपाध्यक्ष : आप प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : एक बार माननीय मंत्री जी बोल दें ।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री : महोदय, मुझे कई बार माननीय सदस्य ने कहा है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जिस मंशा से उन्होंने प्रश्न किया है, जल्द ही उनकी मंशा पूरी होने वाली है । जमीन का रेट, यह सही है, बरौनी में 33 लाख है और वहाँ पौने दो करोड़ रूपये एकड़ है । तो बनमनखी का रेट ज्यादा है इसलिये उद्योग वहाँ नहीं लग पाये हैं लेकिन अभी उद्योग वहाँ लगेंगे ।

आप जान ही रहे हैं कि आज ही बिहार में प्रधानमंत्री के हाथों से सेकण्ड प्राइज एम0एस0एम0ई0 में बिहार को मिला है ।

उपाध्यक्ष : इसके लिए बधाई हो ।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री : उद्योग का वातावरण बिहार में बन गया है । उड़ीसा को नम्बर 1 का मिला, नम्बर 2 हमें मिला और नम्बर 3 हरियाणा है ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार को जो पुरस्कार मिला है इसके लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ ।

उपाध्यक्ष : एकदम दिल से बधाई दीजिये ।

क्रमांक-87 : श्री सिद्धार्थ पटेल, स0वि0स0

श्री सिद्धार्थ पटेल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह इंटर कॉलेजों के शैक्षणिक सत्र 2014-16 से रोकी गई अनुदान की राशि शिक्षक कर्मियों के बैंक खातों में जमा करावे ।''

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इन महाविद्यालयों का अनुदान इसलिये रोका गया था कि नियमावली 2011 के तहत उसके अनुरूप इन्होंने कोई कागजात नहीं जमा किया था, विद्यालय का निरीक्षण नहीं करवाया गया था इसीलिये अनुदान रोका गया था ।

पिछले तीन साल से इसकी अंतिम तिथि बढ़ायी जा रही है और हमने अभी 10 दिन पहले मंत्रिपरिषद से फिर 31.12.2022 तक बढ़ा दी है । मेरा माननीय सदस्य से और सभी माननीय सदस्यों से, जिनलोगों ने कहा है कि यह पूरे बिहार का मामला है इसलिये हम सभी से अनुरोध करते हैं कि 31.12.2022 तक उक्त महाविद्यालयों के सभी कागजात आवश्यक फॉर्मेट में जमा कर दें जिनसे कि उनके संबंधन की कार्रवाई की जा सके और तभी अनुदान के वे हकदार होंगे । इसलिये उनके कागजात जमा करा दें ।

अभी माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री सिद्धार्थ पटेल : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-88 : श्री भीम कुमार सिंह, स0वि0स0

श्री भीम कुमार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिलान्तर्गत गोह प्रखंड के मल्दह पंचायत के ग्राम नान्हु विगहा के पास सोन उच्चस्तरीय पूर्वी नहर के आर0डी0-212 पर स्थित ध्वस्त पुल के स्थान पर नये पुल का निर्माण करावे ।''

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत गोह प्रखंड के मल्हद पंचायत के ग्राम नान्हु विगहा के पास पूर्वी सोन उच्चस्तरीय पुल नहर के 212 आर0डी0 पर अवस्थित पुल का अधिकांश पारापेट एवं डैक स्लैब क्षतिग्रस्त एवं जर्जर स्थिति में है जिसकी मरम्मति करवाने की आवश्यकता है ।

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, औरंगाबाद के पत्रांक-1130 दिनांक-25.6. 2022 द्वारा सूचित किया गया है कि आर0सी0सी0 डैक स्लैब एवं पारापेट बनवाने हेतु प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है और जल्द ही यह काम पूरा कर दिया जायेगा।

इसलिये माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव ले लें ।

श्री भीम कुमार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह होगा कि जितना जल्द से जल्द हो, उस पुल का निर्माण कराया जाय क्योंकि आवागमन पूरा बाधित है और वही एक पुल उस गॉव में और दसों गॉव में जाने का रास्ताव है । इसलिये माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूँगा कि जितना जल्दी संभव हो, बनवा दें । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-89 : श्री ऋषि कुमार, स0वि0स0

श्री ऋषि कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाऊदनगर प्रखंड स्थित एन0एच0-139 एवं 120 पर अवस्थित भखरूआ चौक को जल जमाव से मुक्त करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाऊदनगर प्रखंड स्थित एन0एच0-139 एवं 120 पर अवस्थित भखरूआ चौक पर सड़क किनारे बने नाला का निर्माण कार्य करा दिया गया है । वर्तमान में उक्त स्थल पर जल जमाव की समस्या समाप्त हो गई है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री ऋषि कुमार : महोदय, इसकी जॉच करवा ली जाय क्योंकि जल जमाव अभी भी है और इनकंपलीट है, नाला कंपलीट हुआ नहीं है, उसको कनेक्ट नहीं किया गया है ।

इसकी एक बार मंत्री जी जॉच करवा लें । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-90 : श्री अजय कुमार सिंह, स0वि0स0</u>

(अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-91 : श्री छोटे लाल राय, स0वि0स0</u>

श्री छोटे लाल राय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिलान्तर्गत प्रखण्ड दरियापुर के सुन्दरपुर परसौना पथ का निर्माण करावे ।''

श्री जयंत राज, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित पथ का मरम्मति कार्य शीर्ष 3054 एम0आर0 योजना के अंतर्गत 12वें आर0सी0डी0 पथ से सुन्दरपुर पथ के नाम से कराया गया है जिसकी लम्बाई 6.85 कि0मी0 है जो पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि में है । संवेदक को अनुरक्षण कार्य नहीं किये जाने के कारण डिबार किया गया है । डिबार के उपरांत संवेदक द्वारा पथ में चतुर्थ वर्षीय अनुरक्षण कार्य शुरू किया गया परंतु कुछ भाग का अनुरक्षण नहीं कराया गया । इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, सोनपुर के पत्रांक-887 दिनांक-04.6.2022 द्वारा सवंदेक को छूटे हुए आंशिक क्षतिग्रस्त भाग को पूर्ण रूप से मरम्मति कराने का निर्देश दिया गया । पुन: कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, सोनपुर के पत्रांक-1000 दिनांक-27.6.2022 द्वारा पथ को चौथे वर्ष का अनुरक्षण कार्य दो सप्ताह के अंदर पूर्ण करने हेतु संवेदक को अंतिम चेतावनी दी गई है । यदि इसके बाद भी संवेदक द्वारा अनुरक्षण कार्य पूर्ण नहीं कराया जाता है तो इसे निलंबित कर

काली सूची में दर्ज करने हेतु अग्रतर कार्रवाई की जायेगी । पथ का आवागमन चालू है । यह पथ मुख्यमंत्री सुलभ सम्पर्कता योजना से भी प्रस्तावित है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वर्णित परिस्थिति में इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री छोटे लाल राय : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य सड़क यह हमलोगों का है और कंट्रैक्टर बढ़िया से काम किया ही नहीं पहले से, बूझिये कि वह लूटपाट किया । आग्रह होगा होगा कि कंट्रैक्टर पर पूरा कार्रवाई करें और आप कार्रवाई कीजिये । यही मेरा आग्रह होगा और मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-92 : श्री आलोक कुमार मेहता, स0वि0स0

उपाध्यक्ष : डॉ0 रामानुज प्रसाद प्राधिकृत हैं ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर स्टेशन से भाया बछवाड़ा, पटोरी, पाटलीपुत्रा होते हुए E.M.U. पैसेंजर ट्रेन चलाने हेतु पूर्व मध्य रेलवे से सिफारिश करे ।''

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर स्टेशन से भाया बछवाड़ा, पटोरी, पाटलीपुत्रा होते हुये E.M.U. पैसेंजर ट्रेन चलाने से संबंधित विषय रेल मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित है । इस संबंध में विभागीय पत्रांक-3794 दिनांक-28.6.2022 द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर से अनुरोध किया गया है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प लेने की कृपा करें।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ धन्यवाद देते हुए ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-12/आजाद/30.06.2022

क्रमांक-93 : श्री मोतीलाल प्रसाद, स0वि0स0

श्री मोतीलाल प्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत प्रखण्ड बैरगनिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैरगनिया में चहारदिवारी का निर्माण करावे । ''

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विभागीय पत्रांक-618 दिनांक 02.12.2021 एवं पत्रांक-249 दिनांक 29.06.2022 के द्वारा सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बैरगनिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के चहारदिवारी का बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम द्वारा निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदन प्राक्कलन की मांग की गई है ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री मोतीलाल प्रसाद : महोदय, शहर के बीच में वह अस्पताल है । इसलिए सरकार से आग्रह होगा कि इसको प्राथमिकता में लायी जाय, जितना शीघ्र हो, इसको बनवा दिया जाय.....

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, बहुत ही सकारात्मक जवाब दिये हैं ।

श्री मोतीलाल प्रसाद : चूँकि हॉस्पीटल का जमीन बहुत कौस्टली है और गलत मानसिकता वाले उसका अतिक्रमण कर रहे हैं और साथ ही आवारा पशु अनावश्यक उसमें प्रवेश करके व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करते हैं । इसलिए आग्रह होगा कि जितना शीघ्र हो, इसका निर्माण करा दिया जाय । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-94 : श्री शम्भुनाथ यादव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-95 : श्री ई0 शशि भूषण सिंह, स0वि0स0

श्री ई0 शशि भूषण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के सुगौली विधान सभा क्षेत्र के सुगौली प्रखण्ड के बगही पंचायत में ग्राम-खण्डी से मुरला पंचायत के गज्जु राऊत के टोला तक ढ़ाई किलोमीटर कच्ची सड़क का पक्कीकरण करावे । "

श्री जयंत राज, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित पथ की लम्बाई 2.5 कि0मी0 है, जिसके एक छोर पर अवस्थित सिखण्डी बसावट को पी0एम0जी0एस0वाई0 निर्मित पथ टी0-01 से सिखण्डी से एवं दूसरे छोर पर अवस्थित बसावट गुज्जु राय टोला को एम0एम0जी0एस0वाई0 निर्मित एन0एच0-28 से सिसबनिया पोखड़ से सम्पर्कता प्राप्त है । पथ के शेष पथांश में कोई योग्य बसावट नहीं रहने के कारण इसे राज्य के किसी कोरनेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है ।

अत: इस पथांश के निर्माण का कोई प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्री ई0 शशि भूषण सिंह : महोदय, बीच में कोई बसावट नहीं है, फिर भी जाने का वही एकमात्र रास्ता है । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ लेकिन इसको बनवाने की कृपा की जाय ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-96 : श्री गोपाल रविदास, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-97 : श्री सुरेन्द्र मेहता, स0वि0स0

श्री सुरेन्द्र मेहता : : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय जिलान्तर्गत भगवानपुर मालती पिपरा पथ का चौड़ीकरण करावे । "

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि संकल्पाधीन पथ दलसिंहसराय कैदराबाद मालती पथ का पथांश है, जिसकी कुल लम्बाई 36 कि0मी0 है । चैनेज 0 से 25वें कि0मी0 तक पथ की चौड़ाई 3.05 मीटर एवं चैनेज 26वें से 36वें कि0मी0 तक पथ की चौड़ाई 5.5 मीटर है । पथ ओ0पी0आर0एम0सी0-2 अन्तर्गत संधारित है । पथ की स्थिति यातायात योग्य है । सम्प्रति चौड़ीकरण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध होगा कि वे अपना संकल्प वापस ले लें।

श्री सुरेन्द्र मेहता : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि यह सड़क बेगूसराय जिला का जो भगवानपुर प्रखंड पड़ता है, उधर भी चौड़ीकरण हो चुका है और समस्तीपुर जिला का जो दलसिंहराय का जो पार्ट है, उसका भी चौड़ीकरण हो चुका है, सिर्फ भगवानपुर प्रखंड का थोड़ा पार्ट और मंसूरचक का थोड़ा पार्ट बचा हुआ है, बीच में ही बचा हुआ है । सड़क की स्थिति ऐसी है महोदय कि मंत्री जी को रिपोर्ट वहां से आ जाता है और वे पढ़ देते हैं लेकिन उस सड़क से दो रिक्शा अगर पास कर जाता है तो उस रोड से निकलना मुश्किल हो जाता है । महोदय, हमारा उस रास्ते से बराबर आना जाना होता है । विधायक को बजाप्ता गाली देते रहता है और विधायक सुनकर वहां से चला जाता है । ऐसी स्थिति रोड की है और जब कभी भी पूछा जाता है तो मंत्री जी यही जवाब देते हैं कि पथ की स्थिति अच्छी है ।

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री सुरेन्द्र मेहता : हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्री जी से कि सड़क को जल्द से जल्द बनवाया जाय, हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

श्री भूदेव चौधरी : माननीय सदस्य बहुत ही विषम स्थिति की चर्चा की है, इसपर माननीय मंत्री जी का जवाब सुन लिया जाय ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : महोदय, 5.5 मीटर चौड़ी सड़क पर दो रिक्शा अटक जाय, यह तो बहुत हास्यास्पद बात है । 5.5 मीटर चौड़ी यह सड़क है, अभी इस प्रकार इसको चौड़ीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । ओ0पी0एम0आर0सी0-2 में रोड संधारित है, रोड की स्थिति अच्छी है, यातायात योग्य है । इसलिए इस प्रकार का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है । जब कोई प्रस्ताव आयेगा तो सरकार विचार करेगी ।

श्री सुरेन्द्र मेहता : महोदय, जॉच करवा लिया जाय कि सही मायने में वह अच्छी है या नहीं ?

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-98 : श्री हरिनारायण सिंह, स0वि0स0</u>

श्री हरिनारायण सिंह : : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

‘‘यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालन्दा जिला अन्तर्गत चण्डी प्रखण्ड के बस स्टैंड पी0डब्लू0डी0 सड़क से सटे मुहाने नदी पर चण्डी-भगवानपुर पुराने आर0सी0सी0 जर्जर पुल को तोड़कर नया आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करावे । ’’

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, जल संसाधन विभाग से आज यह प्राप्त हुआ है, इसका जवाब अभी तैयार नहीं है, आज 1.00 बजे दिन में प्राप्त हुआ है । माननीय सदस्य से आग्रह होगा कि इसको कृपया वापस ले लें ।

श्री हरिनारायण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक ही निवेदन है कि इसका जवाब आ ही जाना चाहिए बाद में, इसी के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ । लेकिन एक बात और भी कह देना चाहता हूँ कि चण्डी बसस्टैंड से भगवानपुर और बीच में मुहाने नदी है, यह संबंधित है ग्रामीण कार्य विभाग से, क्योंकि इसमें जो जर्जर पुल है, इसका निर्माण विधायक निधि से कराया गया था । इसलिए यह ट्रांसफर गलत हुआ है पी0डब्लू0डी0 में और यह ग्रामीण कार्य विभाग में ट्रांसफर किया जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-99 : श्री विनय कुमार चौधरी, स0वि0स0

श्री विनय कुमार चौधरी : : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार में प्रधानमंत्री किसान सम्मान से वंचित किसानों को झारखंड राज्य की तरह पूर्वजों के नाम की जमीन के आधार पर निर्गत एल0पी0सी0 के आधार पर बिहार में भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान के लिए भारत सरकार से अनुरोध करे । "

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री विनय कुमार चौधरी : यह कृषि विभाग से संबंधित है ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, कृषि विभाग ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार द्वारा दिसम्बर, 2018 से चलायी जा रही है । इस योजना का उद्देश्य फसल के स्वास्थ्य एवं उचित ऊपज के लिए किसान को विभिन्न उपादान क्रय करने में वित्तीय मदद के लिए है ताकि किसानों के प्रत्याशित आय को सुनिश्चित किया जा सके । योजना के अन्तर्गत लाभुकों को प्रतिवर्ष कुल 6हजार रू0 में उसमें से दो हजार रू0 तीन बार के किस्तों में दिया जाता है । योजना के लिए पात्रता सिर्फ रैयत किसान परिवार पति-पत्नी एवं अवयस्क बच्चे के लिए है, जिनके पास खेती योग्य भूमि हो, राज्य के भूमि रेकोर्ड के अनुसार उनका नाम दर्ज हो । योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु डी0बी0टी0 पोर्टल पर आधारित आधार ऑनलाईन पंजीकरण एवं आवेदन की सुविधा उपलब्ध है । योजना में ऑनलाईन आवेदन हेतु यह पंजीकरण अनिवार्य है । बिहार के इच्छुक रैयत किसान परिवार इस योजना का लाभ लेने हेतु ऑनलाईन आवेदन डी0बी0टी0 पोर्टल पर देते हैं । राज्य में प्रचलित भूस्वामित्व प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है ।

महोदय, ऑनलाईन आवेदनों का भौतिक सत्यापन पंचायत स्तर पर कृषि समन्वयक के द्वारा किया जाता है । कृषि समन्वयक के अनुशंसा के उपरांत ऑनलाईन आवेदन में जमीन वितरण का सत्यापन अंचलाधिकारी स्तर से किया जाता है । लाभुक किसान द्वारा धारित जमीन संबंधी प्रवृष्टियों एवं रकवा के भूमि अभिलेखों की जॉच की जिम्मेवारी अंचलाधिकारी की होती है । तदनुपरान्त अंचलाधिकारी स्तर से अनुमोदित ऑनलाईन आवेदनों पर अपर समाहर्ता, राजस्व के सत्यापन के उपरांत अनुमोदित आवेदन मुख्यालय स्तर से भारत सरकार को भेजा जाता है । राज्य भर में अब तक कुल महोदय 1 करोड़ 84 लाख किसानों को आधार आधारित ऑनलाईन पंजीकरण किया गया है । अभी तक इस योजना में 1 करोड़ 25 लाख किसानों ने ऑनलाईन आवेदन किया था और यह प्राप्त हुआ है ।

प्राप्त कुल आवेदनों में सत्यापन के उपरांत 86 लाख 26 हजार किसानों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है । अब तक कुल 15 हजार 914 करोड़ रू0 की राशि भारत सरकार द्वारा राज्य के 86 लाख 26 हजार लाभुकों को डी0बी0टी0 के माध्यम से उनके बैंक खाते में स्थानान्तरित किया गया है ।

..... क्रमशः .....

टर्न-13/शंभु/30.06.22

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह,मंत्री : क्रमशः महोदय, यह भारत सरकार के गाइन लाइन के हिसाब से ही होता है उसके अनुसार ही हम करने के लिए अधिकृत हैं । भारत सरकार यदि अपने गाइन लाइन में परिवर्तन कर पाये तो ऐसा आग्रह हमें कर देने में कोई आपत्ति नहीं है । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय, जब इन्होंने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है तो हम क्यों प्रस्ताव वापस करें । यह केन्द्र सरकार को भेजना है । झारखण्ड सरकार अपने पूर्वजों के नाम पर जो जमीन है रैय्यतों को वह वहां पर दे रही है उसी तरह से बिहार में भी दे । यही तो मेरी मांग है तो यह प्रस्ताव......

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री कहे भारत सरकार से आग्रह करेंगे तो प्रस्ताव वापस नहीं लीजियेगा तो कैसे होगा ?

श्री विनय कुमार चौधरी : यह भारत सरकार को भेजना है प्रस्ताव और जब ये स्वीकार कर लिये हैं वही तो मैं अनुरोध किया हूँ कि आप भारत सरकार को इसको भेज दीजिए। इसलिए इसको वापस लेने की क्या बात है, इसको तो भेजना है । जब इन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार कर लिया है तो बात खतम है । इन्होंने तो मान लिया न कि भारत सरकार को हम अनुरोध करेंगे तो बात इतनी है तो ये भेज दें । जब स्वीकृत हो गया तो फिर वापस की क्या बात होगी सर । जब स्वीकृत हो गया यह ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह,मंत्री : महोदय, यह स्वीकार कर लेना संभव नहीं है क्योंकि हमारे स्तर पर यह नहीं होना है और मैंने कहा यदि भारत सरकार ऐसा करे तो बात करके हम उनको दे सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं यदि ऐसा संभव होगा । मैं नहीं जानता मुझे नहीं पता है कि आप माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं इस आधार पर झारखण्ड में हो रहा है, मुझे पता नहीं है ।

उपाध्यक्ष : वापस ले लीजिए ।

श्री विनय कुमार चौधरी : यह तो भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने के लिए मेरा अनुरोध है ।

उपाध्यक्ष : वापस लीजिए माननीय मंत्री जी सकारात्मक जवाब दिये हैं ।

श्री विनय कुमार चौधरी : इसमें जब हो गया कि भारत सरकार को प्रस्ताव करना है तब क्या हम वापस ले लें । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-100,श्री मुरारी मोहन झा,स0वि0स0

श्री मुरारी मोहन झा : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड अन्तर्गत सरजापुर पंचायत के गोखुल ग्राम के पास जीवछ नदी पर पुल का निर्माण करावे ।''

श्री जिवेश कुमार,मंत्री : महोदय, यह ग्रामीण कार्य विभाग को स्थानान्तरित है ।

श्री जयंत राज,मंत्री : महोदय, अभी इनका मेरे पास नहीं आया है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो किये हैं उसको वापस ले लीजिए । माननीय मंत्री अवगत करा देंगे कार्रवाई से वापस ले लीजिए ।

श्री मुरारी मोहन झा : जी ठीक है, वापस लेते हैं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-101,श्री जितेन्द्र कुमार,स0वि0स0

श्री जितेन्द्र कुमार : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर विद्युत् आपूर्ति के साथ-साथ भोजन बनाने हेतु जलावन की जगह गैस की व्यवस्था करावे ।''

श्री मदन सहनी,मंत्री : महोदय, कार्यरत आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 26 हजार को अपना भवन है जबकि 74325 किराये के मकान में एवं 11672 सामुदायिक भवन, पुस्तकालय भवन एवं अन्य सरकारी भवनों में कार्यरत है । किराये के भवन में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में एकरारनामा के अनुसार विद्युत् की व्यवस्था का प्रावधान है, परन्तु अपना भवन एवं अन्य सरकारी भवन आदि में विद्युत् आपूर्ति का प्रावधान नहीं है । पोषाहार भोजन तैयार करने हेतु जलावन के जगह गैस उपलब्ध कराने का प्रावधान वर्तमान में विचाराधीन नहीं है । कतिपय परियोजनाओं के द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से गैस उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है तथा राज्य स्तर से वर्तमान में मॉडल आंगनबाड़ी केन्द्र पर गैस का प्रावधान है, अन्य केन्द्रों पर सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अत: हम माननीय सदस्य से अनुरोध करेंगे कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री जितेन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने विस्तार से जवाब दिया है । अपना भवन भी है और आंगनबाड़ी सरकारी भवन में भी है और निजी भवन में भी है और भाड़े पर भी है । महोदय, मैं तो कहना चाहूंगा कि छोटा सा कमरा होता है वह अंधेरा होता है उसमें छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, अगर बल्ब की व्यवस्था हो जाय और एक पंखे की व्यवस्था हो जाय- छोटे-छोटे शिशु जो रहते हैं उनको गर्मी में काफी दिक्कत होती है और उन्हीं की देखभाल के लिए यह व्यवस्था की गयी है आंगनबाड़ी केन्द्रों में तो हम तो यही आग्रह करेंगे कि इसको प्रस्ताव में लाया जाय और जो जलावन की व्यवस्था है उससे प्रदूषण होता है । आज पूरा भारत खाना बनाने के लिए जलावन से मुक्त किया जा रहा है तो वैसी स्थिति में गैस की व्यवस्था हर जगह करायी जाय । यह जरूरी नहीं है कि अपना मकान में ही हो, जो भाड़े पर मकान है या सामुदायिक भवन है । इसको प्रस्ताव में लाने से हम समझते हैं कि प्रदूषण भी कम होगा और छोटे-छोटे शिशु हैं उनका भी देखभाल होगा ।

उपाध्यक्ष : ठीक है, आपने सरकार के संज्ञान में दे दिया है । अब वापस ले लें ।

श्री जितेन्द्र कुमार : महोदय, हम आपसे आग्रह करेंगे कि इसपर विचार किया जाय और भविष्य में प्रस्ताव लाया जाय ताकि यह बच्चों के हित में हो सके, ये बच्चे हैं कल के भविष्य हैं । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्यगण, सदन की कार्यवाही 4 बजे तक निर्धारित थी यदि सदन की सहमति हो तो कार्य समाप्त होने तक सदन की अवधि विस्तारित की जाती है ।

<u>क्रमांक-102,श्री राजेश कुमार गुप्ता,स0वि0स0</u>

श्री राजेश कुमार गुप्ता : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिला के सासाराम नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत वार्ड नं0-3,4,7,10,21,34 एवं 35 को जल जमाव से मुक्त करावे ।''

श्रीमती रेणु देवी,उप मुख्यमंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नगर आयुक्त, नगर निगम सासाराम द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सासाराम नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत वार्ड नं0-3,4,7,10,21,34 एवं 35 को जल जमाव से मुक्त करने हेतु स्ट्रांग वाटर ड्रेनेज योजना फेज-2 के निर्माण का प्राक्कलन वुडको के माध्यम से प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्राप्त हुआ है । जो प्रक्रियाधीन है । इसके अतिरिक्त आगामी मौनसून को मद्देनजर रखते हुए नगर निगम सासाराम में सफाई एजेन्सी के माध्यम से शहर में

सभी नालों और नालियों की संपूर्ण उगाही का कार्य किया जा रहा है । आवश्यकता पड़ने पर मोटर पंप से जल निकासी का कार्य कराया जायेगा । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

टर्न-14/पुलकित/30.06.2022

श्री राजेश कुमार गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो नगर आयुक्त बता रहे हैं कि मोटर पम्प से सफाई हो रही है, पानी निकाला जा रहा है या नाली की सफाई की जा रही है, यह कहीं नहीं हुआ है और एन0जी0ओ0 को 86 लाख प्रत्येक माह पेमेंट दिया जा रहा है लेकिन पूरे शहर में कहीं भी सफाई नहीं हो रही है और न ही कहीं नाली की उड़ाही हो रही है । अभी ऐसी स्थिति बनी हुई है सासाराम में एक जगह है धर्मशाला रोड से चौखण्डी होते हुए गांधी नीम तक वहां व्यवसायियों का हब है । वहां दो दिन बरसात हुई और दो ही दिन में दुकान में पानी आ गया । जबतक यह बरसात चलेगी तब तक उतने दिनों तक व्यवसायियों की दुकानें बंद रहेगी । जो नगर परिषद् से नगर निगम बना है उसकी स्थिति बद से बदतर हो गयी है । मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां एक स्थायी नगर आयुक्त की नियुक्ति की जाये क्योंकि किसी अफसर पर चार्ज दिया जाता है तो वह अपने आपको ही रिचार्ज करने में लगा रहता है । कोई काम नहीं हो रहा है, एकदम वहां की स्थिति की बद से बदतर बनी हुई है ।

उपाध्यक्ष : ठीक है । अपना संकल्प वापस ले लीजिये ।

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : उसके बारे में आप लिखित दे दीजियेगा । जहां जरूरत है उसपर हमने स्पष्ट कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर मोटर पम्प से जल निकासी का कार्य करा लिया जायेगा और जो स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज योजना फेज-2 है उसमें प्राक्कलन बुडको के माध्यम से प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है । उसको कर लिया जायेगा ।

उपाध्यक्ष : ठीक है, वापस ले लीजिये ।

श्री राजेश कुमार गुप्ता : महोदय, बार-बार कहे जाने के बाद भी आजतक जो ड्रेनेज वाटर का बन रहा है उसमें कोई प्रगति नहीं है । मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उसको जल्द से जल्द बनवाया जाये और डी0पी0आर0 वगैरह बनवाकर टेंडर करवाया जाये और वहां नगर निगम की स्थिति एकदम लूट खसोट मची हुई है । हम मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि अभी वहां स्थिति की जांच हो कि ये जो नगर आयुक्त दिये हुए हैं कि मोटर पम्प से पानी निकाला जा रहा है और सफाई हो रही है । वहां मंत्री जी इसकी जांच करावें । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : ठीक है । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

मानननीय सदस्य, श्री संतोष कुमार मिश्र ।

क्रमांक- 103 : श्री संतोष कुमार मिश्र, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री कुमार सर्वजीत ।

क्रमांक- 104 : श्री कुमार सर्वजीत, स0वि0स0

श्री कुमार सर्वजीत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिलान्तर्गत नगर परिषद् क्षेत्र बोध गया में सक्सेना मोड़ से शाक्यामूनि कॉलेज वाया कटोरबा रामण्या भूमि एवं काल चक्र मैदान से महारानी रोड वाया सुजाता वाईपास तक पथों का निर्माण करावें ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसको नगर विकास एवं आवास विभाग से ग्रामीण कार्य विभाग में हस्तांतरित किया गया है ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह जो प्रस्ताव है, यह नगर विकास से ही संबंधित मामला है । नगर विकास के अधीन का ही मामला है और माननीय सदस्य से अनुरोध होगा कि वह अपना संकल्प वापस लें ।

श्री कुमार सर्वजीत : उपाध्यक्ष महोदय, यह नगर परिषद् का मामला है । महाबोधि मंदिर विश्व का विख्यात है और ये सभी सड़कें मंदिर जाने की सड़क है तो यह ग्रामीण कार्य में जाने का कोई मतलब ही नहीं था । इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि नगर परिषद्, तो जब नगर परिषद् शब्द आ गया तो ग्रामीण कार्य विभाग में भेजने का कोई औचित्य तो था नहीं । दूसरा, महोदय, यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है । माननीय मुख्यमंत्री जी, साल में दस बार वहां जाते हैं । जितनी सड़कों के बारे में हमने कहा है उन सड़कों के दोनों साईड में कम से कम 50-50 होटल है और जो देश-विदेश से पर्यटक आते हैं तो वे वहां क्या संदेश लेकर जाते हैं । हमारे डिप्टी सी0एम0 अगर रहते तो मैं उनसे जरूर आग्रह करता लेकिन यह आज का मामला नहीं है, जो हम सदन में उठा रहे हैं । यह ...

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से इस पर विचार किया जायेगा ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, यह गलत बात है, पदाधिकारी यदि गलत सूचना दें तो इस पर कार्रवाई कीजिये । जब पहले से ही नगर निगम में है और वहां से इसको ट्रांसफर दूसरी जगह कर दिया जायेगा तो इसको गंभीरता से देखिये । सदन में इस तरह की बातें आना गलत बात है ।

श्री कुमार सर्वजीत : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य, श्री अमरजीत कुशवाहा ।

क्रमांक- 105 : श्री अमरजीत कुशवाहा, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अवधेश सिंह ।

क्रमांक- 106 : श्री अवधेश सिंह, स0वि0स0

श्री अवधेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य में कार्यरत या नये खुलने वाली निजी क्लिनिक, नर्सिंग होम एवं जांचघर का मानक तय करते हुए गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु राशि का निर्धारण करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रजिस्ट्रेशन एवं विनियमन ऐक्ट, 2010 के तहत मेडिकल प्रोसीजर एवं सर्विस की दर निर्धारित किये जाने हेतु विभागीय पत्रांक- 699, दिनांक- 22.09.2020 से एक समिति गठित की गयी है । समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर यह दर राज्य के सभी अस्पतालों में लागू की जानी है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री अवधेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री का जवाब है कि इसकी कमेटी गठित है लेकिन रोज नया-नया जांचघर जो बिना कोई मानक के नहीं खुल रहा है और एक साईकिल या मोटर साईकिल के पार्ट-पुर्जा का दाम, सबकुछ तय है । मानव शरीर जिसको अनमोल कहा गया है, उसका कुछ भी तय नहीं है । कोई मानक नहीं है। हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि कमेटी बनाने से नहीं होगा । इसका कोई न कोई लंबे समय का समाधान या उपाय माननीय मंत्री जी करें । ऐसा आग्रह करते हुए मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य, श्री अचमित ऋषिदेव ।

क्रमांक- 107 : श्री अचमित ऋषिदेव, स0वि0स0

श्री अचमित ऋषिदेव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य प्रखण्ड रानीगंज के मुख्यालय में अवस्थित लालजी उच्च विद्यालय, रानीगंज के 46 एकड़ बचे भूखंड पर नवनिर्मित आई0टी0आई0 रानीगंज के बगल में एस0सी0-एस0टी0 मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना करावे ।"

उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या- 1165, दिनांक- 28.03.2022 के द्वारा अनुसूचित जाति आबादी वाले 40 प्रखण्डों जिनकी आबादी 50 हजार से अधिक है एवं वर्तमान में डॉ0 भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय निर्माण की स्वीकृति शेष है, में एक-एक 720 आसन वाले डॉ0 भीमराव अम्बेडकर 10+2 आवासीय विद्यालय की स्थापना, निर्माण की स्वीकृति दी गयी है । निर्धारित मापदण्ड के अनुसार अररिया जिला के रानीगंज प्रखण्ड आबादी की अर्हता को पूर्ण करता है । समार्हत्ता अररिया को उपयुक्त भूमि प्राप्त होने पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी ।

अत: अनुरोध है माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लें ।

श्री अचमित ऋषिदेव : महोदय, हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जो लास्ट में हमको मौका मिला है । इसलिए कम से कम एक मिनट बोलने तो दीजिये । महोदय, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार रानीगंज प्रखण्ड अनुसूचित जाति की जनसंख्या 87000 है । अनुसूचित जनजाति की संख्या 18102 है वैसे में जनसंख्या के आधार पर एस0सी0, एस0टी0 के मॉडल आवासीय विद्यालय की मांग सरकार से करता हूं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्री अचमित ऋषिदेव : महोदय, अनिवार्य है । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं । लास्ट है, मुझे मौका दीजिये मंत्री जी से बोलने के लिए । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं । आसन के कहा जाता है माननीय सदस्यों को कि मंत्री जी से मिल लीजियेगा । उसी पर हमने कल बोला भी, हम भी मिल लेंगे, हमारा काम भी हो जायेगा । बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-15/अभिनीत/30.06.2022

उपाध्यक्ष : अब जिन माननीय सदस्यों का छूट गया था उनका गैर सरकारी संकल्प ले रहे हैं । माननीय सदस्य श्री मुरारी प्रसाद गौतम ।

क्रमांक- 01 : श्री मुरारी प्रसाद गौतम, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक- 05 : श्री विश्वनाथ राम, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक- 06 : श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक- 10 : श्री राम विशुन सिंह, स0वि0स0

श्री राम विशुन सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिलांतर्गत जगदीशपुर विधान सभा क्षेत्र के जगदीशपुर प्रखंड के छेर नदी पर पुल का निर्माण करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, यह ट्रांसफर होकर आया है, एक बजे प्राप्त हुआ है । इसका जवाब अभी नहीं आया है, इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि प्रस्ताव वापस ले लें ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को जानकारी उपलब्ध करा दीजिएगा ।

श्री राम विशुन सिंह : महोदय, यह प्रश्न ग्रामीण कार्य विभाग का था ।

उपाध्यक्ष : ग्रामीण कार्य विभाग ने पथ निर्माण विभाग को ट्रांसफर किया है । माननीय मंत्री जी आपको सूचना दे देंगे । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 12 : श्री सुदामा प्रसाद, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक- 13 : श्री श्रीकान्त यादव, स0वि0स0

श्री श्रीकान्त यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिला अंतर्गत मांझी-बरौली मुख्य पथ से एकमा नगर पंचायत से लेकर गंडक नहर के दोनों तरफ मांझी प्रखंड के भलुआ खुर्द मध्य विद्यालय तक सड़क का निर्माण करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित प्रश्न तीन पथों से संबंधित है जिसकी स्थिति निम्नवत है:-

1. मांझी-बरौली से खानपुर तक पथ- इस पथ की लंबाई 1.4 किलोमीटर है जो कच्ची है एवं नहर का एमबैंकमेंट है । इस पथ के आरेखन में पड़ने वाले गंज

बसावट को एकमा-मांझी-बरौली आर0सी0डी0 पथ से एकमा बाजार एवं भरहोपुर से एकमा कोहरगढ़ निर्मित पथ से राजापुर बसावट को पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ टी-04 से राजापुर एवं खानपुर को पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ से खानपुर दलित टोला पथ से संपर्कता प्राप्त है । यह पथ किसी कोर नेटवर्क में शामिल नहीं है । अत: पथ निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

2. पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ से खानपुर दलित टोला पथ- इस पथ की लंबाई 0.50 किलोमीटर है । यह पथ एम0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत निर्मित है जो अनुरक्षण अवधि में है, तृतीय वर्षीय में है, पथ की स्थिति संतोषजनक है ।

3. खानपुर से भलुआ-खुर्द मध्य विद्यालय तक पथ- इस पथ की लंबाई 2.5 किलोमीटर है । पथ का प्राक्कलन एम0एम0जी0एस0वाई0 (एन0डी0बी0) के अंतर्गत तैयार किया गया है । तद्नुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री श्रीकान्त यादव : उपाध्यक्ष महोदय, दस पंचायतों के लिए यह रास्ता बहुत जरूरी है । माननीय मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि इस पर ध्यान देकर आगे की कार्रवाई करें । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य श्री राजीव कुमार सिंह ।

<u>क्रमांक- 14 : श्री राजीव कुमार सिंह, स0वि0स0</u>

श्री राजीव कुमार सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुंगेर जिलांतर्गत खड़गपुर अनुमंडल के गंगटा मोड़ से मुंगेर की सीमा तक के एन0एच0-333 सड़क का चौड़ीकरण लोकहित में कराये जाने हेतु राज्य सरकार केंद्र के भूतल परिवहन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजे ।"

उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कार्य योजना 2022-23 में एन0एच0-333 के किलोमीटर जीरो से किलोमीटर 115, कुल लंबाई 101 किलोमीटर का डी0पी0आर0 तैयार करने का प्रावधान है, जिसमें गंगटा मोड़ से मुंगेर की सीमा तक का पथांश भी शामिल है । फलस्वरूप डी0पी0आर0 की स्वीकृति पश्चात् विषयांकित पथांश में चौड़ीकरण कार्य हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि वह अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री राजीव कुमार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अभी विश्व प्रशिद्ध श्रावणी मेला स्टार्ट होने वाला है । गया से लेकर के सुल्तानगंज तक जो आते हैं इस विश्व प्रशिद्ध मेला में और इधर झारखंड से सटे एरिया से जो आते हैं गंगाजल भरने के लिए, तो उनलोगों की जब गाड़ी आयेगी तो फंसेगी ही, चूंकि वहां की जो स्थिति है आये दिन जाम लगता रहता है और आये दिन दुर्घटना होते रहती है । इसलिए जहां तक रोड बना है उसके फ्लैट में केवल मैटलिंग कार्य करवा दिया जाय ताकि जाम की स्थिति न बने और आवागमन सुचारू रूप से चालू रहे ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री ने सकारात्मक उत्तर दिया है ।

श्री राजीव कुमार सिंह : महोदय, एक बार माननीय मंत्री जी से बुलवा दें ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : महोदय, इसका डी0पी0आर0 स्वीकृत है और इसका काम चल रहा है । इसकी चौड़ाई को बढ़ाने की योजना ऑलरेडी है । यह तो मैंने माननीय सदस्य को बताया ही है । अत: माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री राजीव कुमार सिंह : महोदय, मैंने एक बात कही है कि विश्व प्रशिद्ध मेला स्टार्ट होने वाला है उसमें अगर महाजाम की स्थिति रहेगी तो क्या होगा ? आपके माध्यम से मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं लेकिन माननीय मंत्री इसको देखने की कृपा करेंगे ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य श्री रणविजय साहू ।

क्रमांक- 15 : श्री रणविजय साहू, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक- 16 : श्री राजेश कुमार, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक- 17 : श्री विजय कुमार मंडल, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक- 18 : श्री इजहारूल हुसैन, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक- 19 : श्री मनोज कुमार यादव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक- 22 : श्री ललित कुमार यादव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक- 23 : श्री मनोहर प्रसाद सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक- 24 : श्री अली अशरफ सिद्दिकी, स0वि0स0

श्री अली अशरफ सिद्दिकी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिलांतर्गत जगदीशपुर प्रखंड के हबीबपुर शाहजंगी, इमामपुर, खिरीबांध, जमनी पंचायतों के जल निकासी के लिए नाला का निर्माण करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पंचायतों में नाला निर्माण से संबंधित मांग है । यह पंचायती राज विभाग से संबंधित मामला है इसलिए इसको पंचायती राज विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया है । इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध होगा कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना संकल्प वापस ले लीजिए ।

श्री अली आशरफ सिद्दिकी : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

माननीय सदस्य मुहम्मद इजहार असफी ।

क्रमांक- 25 : श्री मुहम्मद इजहार असफी, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक- 26 : श्री अवध विहारी चौधरी, स0वि0स0

श्री अवध विहारी चौधरी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज के सोवैया में बंद पड़े एयरपोर्ट को चालू करते हुए यहां से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमानों के आवागमन को चालू कराने हेतु केंद्र सरकार से अनुशंसा करे।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, गोपालगंज स्थित सोवैया हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना के स्वामित्व में है । आर0सी0एस0 जिसे कहते हैं, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम से यह कवर्ड भी है । नागरिक उड्डयन विभाग ने इसपर बिडिंग भी कराया है लेकिन तीन चरणों के बिडिंग में, जो घरेलू उड़ान के लिए की जाती है उसमें कोई बिडर आये नहीं हैं । सरकार तो प्रयत्नशील है और जब इसमें बिडर आयेंगे तो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत यहां उड़ानें शुरू हो पायेंगी । अभी अवध

विहारी चौधरी जी जैसे वरीय माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

टर्न-16/हेमन्त/30.06.2022

श्री अवध विहारी चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने गैर सरकारी संकल्प क्यों दिया ? इसके औचित्य पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया, वह जवाब स्वीकारात्मक है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि छपरा, सीवान, गोपालगंज, मोतिहारी और बेतिया । महोदय, इन इलाकों के सबसे ज्यादा लोग अरबियन कंट्री में काम करते हैं और उन लोगों को अरब जाने के लिए या विदेश जाने के लिए वहां से पटना या पटना से दिल्ली जाना पड़ता है । काफी परेशानी होती है । तो उनकी परेशानी को, चाहे सिवान के हों, छपरा के हों, मोतिहारी के, बेतिया के या गोपालगंज के हों उनकी परेशानी को दूर करने के लिए मैंने इस गैर सरकारी संकल्प को दिया है और महोदय, मैं पुनः आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पुनः नागरिक विमानन विभाग, केंद्र सरकार को एक बार स्मारित करें कि वहां का जो सोवैया हवाई अड्डा है उसको चालू कराने की दिशा में केंद्र सरकार कार्रवाई करे । यही महोदय से मेरा आग्रह है । इस विचार देने के संबंध में मंत्री जी के द्वारा जो प्रश्न का उत्तर दिया गया है, आपके माध्यम से मैं अपने गैर सरकारी संकल्प को वापस लेता हूं इस उम्मीद के साथ कि सोवैया हवाई अड्डा निश्चित चालू होगा ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-27 : श्रीमती मंजु अग्रवाल, स0वि0स0</u>

श्रीमती मंजु अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिलान्तर्गत प्रखण्ड बांकेबाजार के पंचायत बैताल के अम्बाखार में प्राकृतिक जल स्रोत का चेकडैम निर्माण करावे ।"

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि गया जिलान्तर्गत प्रखण्ड बांकेबाजार के पंचायत बैताल के अम्बाखार में प्राकृतिक जल स्रोत चेकडैम का निर्माण कराने का कोई प्रस्ताव विभाग के पास नहीं है ।

अतः माननीय सदस्या से आग्रह होगा कि अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : महोदय, यह जो अम्बाखार है इसमें चार पंचायत, दो प्रखंड लगभग 50 गांव इससे प्रभावित होगा और वहां ऑलरेडी जल का स्रोत है और मेरा आग्रह होगा कि इस पर ध्यान दिया जाय । मैं अपना संकल्प वापस लेती हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-28 : श्री बागी कुमार वर्मा, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-30 : श्री सुर्यकान्त पासवान, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-31 : श्री राम रतन सिंह, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-32 : श्री समीर कुमार महासेठ, स0वि0स0</u>

श्री समीर कुमार महासेठ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलान्तर्गत सौ वर्ष से अधिक पुराने जी0एम0एस0एस0 उच्च विद्यालय, मधुबनी को अत्याधुनिक मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भारत सरकार द्वारा राज्य में 297 मॉडल स्कूल की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । यह योजना वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा बंद कर दी गयी थी । मधुबनी जिला के जी0एम0एस0एस0 उच्च विद्यालय को अत्याधुनिक मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने संबंधी अभी कोई प्रस्ताव नहीं है । इसीलिए अभी इस प्रस्ताव को वापस ले लीजिए । योजना शुरू होगी, फिर विचार करेंगे । अभी अपना संकल्प वापस ले लीजिए ।

श्री समीर कुमार महासेठ : उपाध्यक्ष महोदय, आग्रह करना था आपके माध्यम से कि ढाई हजार से तीन हजार लड़के-लड़कियां पढ़ती हैं । पूरे देश के चैनल ने उसको दिखाकर हम लोगों को भी बदनाम किया है । माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे आपके माध्यम से कि कोई भी उपाय करके, चूंकि बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, केवल चार कमरे हैं और ढ़ाई हजार से तीन हजार लड़के-लड़कियां हैं, 35 टीचर हैं, तो कहां पढ़ेंगे ?

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी सकारात्मक जवाब दिये । पॉलिसी बनेगी तो विचार करेंगे ।

श्री समीर कुमार महासेठ : तो इस वर्ष उम्मीद करें न माननीय मंत्री जी ?

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव वापस लीजिए ।

श्री समीर कुमार महासेठ : हम इस प्रस्ताव को वापस लेते हैं इस प्रत्याशा में कि माननीय मंत्री जी इस वर्ष कुछ ध्यान देंगे ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-34 : श्री रामप्रवेश राय, स0वि0स0

श्री रामप्रवेश राय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज जिलांतर्गत मांझा प्रखंड में अवस्थित सारण मुख्य बांध के ग्राम गौंसियां और पैठानपट्टी में अवस्थित जीर्णशीर्ण स्लूईस गेट का पुनर्निर्माण करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गोपालगंज जिलान्तर्गत मांझा प्रखण्ड में अवस्थित सारण तटबंध के ग्राम गौंसियां एवं पैठानपट्टी में स्लूईस गेट के पुनर्निर्माण हेतु विभागीय पत्रांक- 2870, दिनांक- 29.06.2022 द्वारा मुख्य अभियंता बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, गोपालगंज को यांत्रिक शाखा के साथ संयुक्त निरीक्षण कर विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है । इसके आधार पर जीर्णोद्धार का कार्य करा लिया जायेगा ।

इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री रामप्रवेश राय : दोनों जगह के लिए लिखा गया है न माननीय मंत्री जी ? आपको धन्यवाद देते हुए प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-35 : श्री विनय कुमार, स0वि0स0

श्री विनय कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिला अन्तर्गत आर0डी0-277 उमगा से आर0डी0-308 तक उत्तरी कोयल नहर में जमे गाद की सफाई करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि उत्तर कोयल जलाशय परियोजना बिहार एवं झारखंड की संयुक्त परियोजना है । यह परियोजना वर्ष 1970 में प्रारंभ हुई, परंतु राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप पूर्ण नहीं हो पायी । परियोजान्तर्गत उत्तर कोयल दायां मुख्य नहर की कुल लम्बाई 109.10 किलोमीटर है जिसमें बिहार भूभाग में दायां मुख्य नहर की कुल लम्बाई 77.70 किलोमीटर है। इस परियोजना के पूर्ण होने के उपरांत औरंगाबाद जिले के नवीनगर, कुटुम्बा, औरंगाबाद, रफीगंज, बारून, देव, मदनपुर एवं गौह प्रखंड के साथ ही गया जिला

के आमस, गुरुआ, गुरारू एवं कोच प्रखण्ड के 95521 हेक्टेयर कमान क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा सकेगी । राज्य पुनर्गठन के उपरांत परियोजना का शेष कार्य भारत सरकार, बिहार सरकार तथा झारखंड सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से कराये जाने का निर्णय लिया गया । जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस परियोजना के अवशेष कार्यों का कार्यान्वयन केंद्रीय एजेंसी, जो भारत सरकार की ही है वेबकोस से कराया जा रहा है । विभागीय पत्रांक-395, दिनांक-10.02.2022 के द्वारा सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार को बिहार भूभाग के उत्तर कोयल दायां मुख्य नहर की कुल लम्बाई 77.70 किलोमीटर में कंक्रीट लाइनिंग कार्य कराने हेतु सहमति प्रदान कर दी गयी है । इस शेष 13.72 किलोमीटर वितरण प्रणाली अनलाइन्ड ही रहेगी तथा इसमें भूगर्भ जल भी रिचार्ज होगा । उत्तर कोयल जलाशय परियोजना का विस्तृत योजना प्रतिवेदन डी0पी0आर0 वेबकोस द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारियों के सहयोग से अवशेष कार्यों का प्राक्कलन तैयार कर सी0डब्ल्यू0सी0 केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को अनुमोदन हेतु भेजा जा चुका है । (क्रमशः)

टर्न-17/धिरेन्द्र/30.06.2022

क्रमशः...

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृति के पश्चात् उत्तर कोयल परियोजना के अवशेष कार्यों का क्रियान्वयन कराया जायेगा और इसी 06 जुलाई को मीटिंग है और मुझे लगता है कि जल्दी ही, जो इतना लांग पेंडिंग प्रोजेक्ट था उत्तर कोयल परियोजना पर काम शुरू हो जायेगा । उसी से रिलेटेड प्रश्न था इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री विनय कुमार : महोदय, यह बहुत बड़ी परियोजना है और इन्होंने बोला कि 95 हजार हेक्टेयर का सिंचाई होगा । दर्जनों ब्लॉक लाभान्वित होंगे, पूरा मगध प्रमंडल लाभान्वित होगा और किसानों के हित में यह है । यह किसान का राज्य है, यहां 85 परसेंट आबादी किसानों की है और उसको पानी आज तक नहीं दिया जा रहा है । सिर्फ यह आश्वासन दिया जाता है कि उत्तर कोयल नहर पर एक पुल टूटा हुआ है, वह पुल अभी दो वर्षों से नहीं बना है और यह बोला जाता है, पिछले वर्ष भी वर्ष 2021-22 में 1629 करोड़ रुपये का खर्च हुआ । महोदय, आज तक किसानों को सिर्फ प्रलोभन दिया जाता है, पानी कब मिलेगा ? आपने बोला कि यह वर्ष 1970 की योजना है, मेरे दादा जी, पिता जी, सब लोगों ने पानी नहीं देखा,

हमलोग भी नहीं देखेंगें क्या ? मेरा कहना है कि उसको कैसे जल्द चालू किया जाय ताकि यह देश, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की यह सोच है कि कृषि को हमलोग आगे बढ़ायेंगे, कृषि मंत्री जी हैं, इसके लिए हमारे श्री बिजेन्द्र बाबू जी बैठे हुए हैं, हर खेत को पानी उपलब्ध कराने के लिए इन्होंने योजना लायी है, वहां पर तार-पौल पहुंचा कर पानी दिया जा रहा है लेकिन इतनी बड़ी नहर जो पूरे मगध को सिंचित कर सकती है, वह जब नहर आ जायेगी तो पूरे मगध को, बिहार को गौरवान्वित करेगा क्योंकि सिंचाई किसानों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी सकारात्मक जवाब दिये हैं ।

श्री विनय कुमार : महोदय, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ लेकिन वहां पर टूटा हुआ पुल है, पुल को भी बनवा दें और इस तरह की योजना को, सकारात्मक जवाब है कि पूरी सरकार को गंभीरता से, यह दो राज्यों की योजना जरूर है, केन्द्र सरकार की योजना जरूर है लेकिन सरकार को गंभीरता से, हमारे माननीय जल संसाधन मंत्री जी ऊर्जावान मंत्री हैं, इनको अपने रीजन में यह इतिहास तो लिखना चाहिए, अगर यह चालू होगा तो इनका भी इतिहास लिखायेगा । मुझे यह कहना है कि कम-से-कम उन किसानों के दर्द को समझ कर...

उपाध्यक्ष : वापस लीजिये ।

श्री विनय कुमार : महोदय, वापस तो लेंगे ही, वापस तो लेना ही है लेकिन इसको करा दिया जाय ..XXX

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री जिवेश कुमार,मंत्री : XXX

उपाध्यक्ष : यह प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगा ।

XXX - आसन के आदेशानुसार अंश को विलोपित किया गया ।

<u>क्रमांक-37 : श्री विजय कुमार, स॰वि॰स॰</u>

श्री विजय कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

‘‘यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह शेखपुरा जिलान्तर्गत पहाड़ी इलाकों में पत्थरों के उत्खनन हेतु लीज अवधि समाप्त हो चुके भू-खण्डों का पुन: लीज देकर पत्थरों का उत्खन्न करावे ।

उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि शेखपुरा जिलान्तर्गत पहाड़ी इलाकों में पत्थरों के उत्खनन हेतु लीज अवधि समाप्त हो चुके भू-खण्डों पर पुन:

लीज देने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह होगा कि वे अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री विजय कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि शेखपुरा में जो पहाड़ भू-खंड बंद हुआ है, वहां बेरोजगारी बहुत है । मैं चाहता हूँ कि इस पर विचार-विमर्श करें और इसको संज्ञान में लें और आगे कार्रवाई करें ।

उपाध्यक्ष : इसको वापस लीजिये ।

श्री विजय कुमार : ठीक है, मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-38 : श्री आनन्द शंकर सिंह, स०वि०स०

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-39 : श्री जय प्रकाश यादव, स०वि०स०

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-40 : श्री महबूब आलम, स०वि०स०

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-42 : श्री भाई वीरेन्द्र, स०वि०स०

श्री भाई वीरेन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिलान्तर्गत मनेर प्रखण्ड स्थित कित्ता चौहत्तर पश्चिमी पंचायत के पुराना टोला स्थित श्री पृथ्वी राय के घर से स्वर्गीय सुभक सिंह के खेत तक सोन सोती पर उच्च स्तरीय आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करावे ।"

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि हल्थी छपरा पुराना टोला श्री पृथ्वी राय के घर तक पी0सी0सी0 रोड बना हुआ है जो अच्छी स्थिति में है । पृथ्वी राय के घर से लगभग 80 मीटर दूर पर सोन नदी की सोती है । सोन नदी की सोती के बाद कोई बसावट नहीं है एवं उसके ढाई किलोमीटर के बाद सोन नदी है जहां तक कोई आबादी नहीं है । इस परिस्थिति में अभिस्तावित सोती पर पुल निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । वर्णित परिस्थिति को देखते हुए माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री भाई वीरेन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि वहां तक रोड बना है और वहां से सोन सोती के उस तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं है, सैंकड़ों एकड़ जमीन वहां है जो

खेती योग्य है, वहां पर खेती करने किसान जाते हैं और जब बाढ़ का दिन आता है और कई दुर्घटनाएं घट जाती हैं । इसलिए मैंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करा दें ताकि कृषकों को अपना कृषि करने में सुविधा हो सके और आने-जाने में भी सुविधा हो सके । इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वहां एक आर0सी0सी0 पुल बनवा दें ताकि किसानों को आवागमन करने में कोई परेशानी न हो ।

श्री जयंत राज, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, हमने बताया है कि हमलोगों का ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा बसावटों को जोड़ने का जो कार्यक्रम होता है । उस तरफ कोई आबादी नहीं अभी नहीं है तो इसलिए अभी कोई प्रस्ताव नहीं है । आगे जब होगा तब देखा जायेगा । माननीय सदस्य से अनुरोध है कि...

श्री भाई वीरेन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि....

उपाध्यक्ष : सरकार के संज्ञान में आ गई है ।

श्री भाई वीरेन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि वहां आबादी नहीं है लेकिन जो इधर रहते हैं वे कृषक हैं, उनका वहां कृषि योग्य जमीन है, सैंकड़ों एकड़ जमीन है, सब लोग जाते हैं और वहां घटना घट जाती है । इसलिए मैंने कहा कि वहां सरकार अपने स्तर से आर0सी0सी0 पुल बनाने का कार्य करे ।

उपाध्यक्ष : वापस ले लीजिये ।

श्री भाई वीरेन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के आश्वासन के आलोक में हम प्रस्ताव वापस लेते हैं।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-43 : श्री मो0 कामरान, स॰वि॰स॰</u>

श्री मो0 कामरान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नवादा जिलान्तर्गत रोह प्रखंड के 15वीं वित्त आयोग एवं पंचम वित्त आयोग योजना पंचायत समिति 2020-21 टायड एवं अनटायड योजना में संविदाकर्मी को अभिकर्त्ता चयन में प्रखंड विकास पदाधिकारी, रोह पर जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक-415, दिनांक 21.02.2022 के आलोक में कार्रवाई करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : मंत्री जी अभी नहीं हैं ।

श्री मो0 कामरान : महोदय, जवाब दिलवा दिया जाय ।

उपाध्यक्ष : थोड़ी देर में आ रहे हैं ।

क्रमांक-47 : श्री सत्यदेव राम, स॰वि॰स॰

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-48 : श्री अजय यादव, स॰वि॰स॰

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-49 : श्री अजीत शर्मा, स॰वि॰स॰

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी के लिए प्राधिकृत हैं माननीय सदस्या श्रीमती प्रतिमा कुमारी ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री अवध विहारी चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रिपरिषद् में संयुक्त जिम्मेवारी माननीय मंत्रियों की होती है । अगर उस विभाग के मंत्री अनुपस्थित हैं तो जितने माननीय मंत्री हैं और गैर-सरकारी संकल्प है तो इसका जवाब उपस्थित मंत्रिमंडल के माननीय मंत्री के द्वारा दिया जाना चाहिए । यह मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।

श्री मो0 कामरान : उपाध्यक्ष महोदय, काफी देर से नहीं हैं, इसको थोड़ा दिखवाया जाय ।

उपाध्यक्ष : थोड़ी देर में आ रहे हैं ।

क्रमांक-52 : श्री पंकज कुमार मिश्र, स॰वि॰स॰

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

टर्न-18/संगीता/30.06.2022

क्रमांक-54 : श्रीमती रेखा देवी, स0वि0स0

श्रीमती रेखा देवी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिलान्तर्गत मसौढ़ी विधान सभा में गोखला श्रीराम प्रवेश सिंह, उच्च विद्यालय अनौली के बगल में मोरहर नदी पर पुल का निर्माण करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : महोदय, ये ग्रामीण कार्य विभाग में स्थानांतरण हो चुका है ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये अभी हमलोगों के पास नहीं आया है । अभी माननीय सदस्या से अनुरोध होगा कि प्रस्ताव वापस ले लें ।

उपाध्यक्ष : सूचना दे दीजिएगा माननीय सदस्य को ।

श्री जयंत राज, मंत्री : ठीक है, सूचना हम दे देंगे माननीय सदस्या को ।

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्रीमती रेखा देवी : उपाध्यक्ष महोदय, नदी इस पार है, बहुत कठिनाई हो रही है इसलिए आपके आश्वासन से मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-55 : श्री महा नंद सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-56 : श्री सुधाकर सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-57 : श्री अजय कुमार, स0वि0स0

श्री अजय कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिलान्तर्गत विभूतिपुर प्रखंड के पंचायत चकहबीब के वार्ड-10 स्थित महावीर मंदिर से हरिजन बैठका तक सड़क निर्माण करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पंचायती राज विभाग को ट्रांसफर है ।

श्री अजय कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, ये पंचायती राज अंतर्गत मतलब उसको भेजा गया, इसका क्या मतलब हुआ, क्यों ट्रांसफर होगा ?

उपाध्यक्ष : देख लीजिए माननीय मंत्री जी ।

श्री जयंत राज, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये आंतरिक पथ है, गांव के अंदर का पथ है इसलिए पंचायती राज विभाग को ट्रांसफर है ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

श्री अजय कुमार : नहीं, मेरा यह गैर सरकारी संकल्प था सर, उसमें हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि जो संकल्प हमने लिया हरिजन बैठका मतलब दलित बस्ती तक संपर्क पथ का यह सवाल है और संपर्क पथ का जो सवाल है तो सरकार इसके प्रति गंभीर है, बराबर आप इसकी चर्चा करते हैं । बहुत छोटा हमने गैर सरकारी संकल्प में इसीलिए रखा कि आप बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं इसीलिए इस प्रस्ताव का महत्व है, दलित बैठका तक हमने कहा कि संपर्क पथ बनाने का सवाल है ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री अजय कुमार : जी, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-59 : श्री शकील अहमद खाँ, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-60 : श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, स0वि0स0

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला अन्तर्गत नवीनगर विद्युत ताप गृह के C.R.S. फंड से नवीनगर क्षेत्र में विकास कार्य कराने हेतु केन्द्र सरकार से अनुशंसा करे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, नवीनगर पावर जेनरेटिव कंपनी लि0 एन0टी0पी0सी0 की पूर्ण स्थायित्व वाली सहायक कंपनी है । एन0पी0जी0सी0एल0 की नवीनगर विद्युत परियोजना को सी0आर0एस0 फंड का उपयोग एन0पी0जी0सी0एल0 के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अनुमोदित सी0सी0ए0आर0 योजना के तहत क्रियान्वित की जाती है । सी0एस0आर0 योजना के अनुमोदन कंपनी एक्ट-213 के सेक्शन-135 के तहत सिड्यूल 7 एवं सी0एस0आर0 अंतर्गत 2014 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत क्रियान्वित किया जाता है । सी0एस0आर0 योजना के क्रियान्वयन में औरंगाबाद जिले का नवीनगर प्रखंड भी शामिल है । अत: मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वे संकल्प को वापस लें ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां दो-दो एन0टी0पी0सी0 की डिमांड है । हजारों एकड़ जमीन हमारे क्षेत्र के किसानों ने दी है, नौजवानों ने दी है इस उम्मीद से कि उस क्षेत्र का विकास होगा और आज पूरे हिन्दुस्तान के अंदर सी0एस0आर0 का पैसा नवीनगर से उठकर चला जाता है और वहां के लोग अपने आप को ठगा महसूस करते हैं तो मैं आसन से आग्रह करूंगा और माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि यहां से प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार की तरफ से सेंट्रल गवर्मेंट में भेजा जाय कि इस पैसे का खर्च यहीं पर किया जाय । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-61 : श्री अरूण सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-65 : श्री हरि शंकर यादव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-66 : श्री मुकेश कुमार यादव, स0वि0स0</u>

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत प्रखण्ड बाजपट्टी के सोनमनी टोल, पुल का निर्माण करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित है, यह पथ निर्माण विभाग का मामला है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि संकल्पाधीन स्थल का डी0पी0आर0 तैयार है । संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी । अत: माननीय सदस्य से आग्रह होगा कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं जब विधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ, उससे दो साल पहले से यह पुल सरकार का है जो क्षतिग्रस्त है पूर्ण रूप से। इस पुल से करीब-करीब 5 प्रखंड और 50 पंचायत प्रभावित होता है । हम तारांकित में भी प्रश्न किए, निवेदन में भी किए, हर समय मंत्री जी का जवाब आता है कि डी0पी0आर0 तैयार है, कब तैयार होगा इसका एक समय सीमा रहना चाहिए । डी0पी0आर0 तैयार है, प्राक्कलन तैयार है, यही सुनने को मिलता है, इससे 50 पंचायत प्रभावित होता है इस पुल से, आवागमन पूर्ण रूप से प्रभावित होता है ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री मुकेश कुमार यादव : मंत्री महोदय से और आसन से आग्रह है कि इसपर अविलंब पुल की व्यवस्था कराया जाय, पुल निर्माण कराया जाय, इस आग्रह के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-67 : श्री संदीप सौरभ, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-77 : श्री रामबलि सिंह यादव, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-81 : श्री मनोज मंजिल, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-84 : श्री राहुल तिवारी, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-90 : श्री अजय कुमार सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-94 : श्री शम्भुनाथ यादव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-96 : श्री गोपाल रविदास, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-103 : श्री संतोष कुमार मिश्र, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-105 : श्री अमरजीत कुशवाहा, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-22 : श्री ललित कुमार यादव, स0वि0स0

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिला अन्तर्गत मनिगाछी प्रखंड के अमताही से फुलवन आने वाली सड़क के कमला नदी में R.C.C.पुल का निर्माण करावे ।''

टर्न-19/सुरज/30.06.2022

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग । 22 नंबर का है, प्रश्न संख्या-103 ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, यह पथ ग्रामीण कार्य विभाग का है और उसी पथ पर यह पुल अवस्थित है, हो सकता है यह ग्रामीण कार्य विभाग से हो ।

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह अभी हमलोगों के पास नहीं आया है इसलिये माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने पहले भी कहा था कि यह जून का महीना है और सरकार में जून का महीना ट्रांसफर का महीना होता है और आज 30 तारीख है, 30 जून है, अंतिम दिन है ट्रांसफर करने का इसलिये विभाग इधर से उधर ट्रांसफर कर रही है ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, पथ निर्माण मंत्री जवाब देना चाहते हैं तो जवाब दें चूंकि यह बहुत जर्जर पुल है और यह आवश्यक है और कभी भी हादसा हो सकता है ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा जिलान्तर्गत मनिगाछी प्रखंड के अमताही से फुलवन आने वाली सड़क के कमला नदी में आर0सी0सी0 पुल निर्माण का विभाग में अभी कोई प्रस्ताव नहीं है । अत: माननीय सदस्य से आग्रह होगा कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, यह हो सकता है कि जो भी सचिवालय की गलती हो, यह ग्रामीण कार्य विभाग का पथ है और 20 साल से यह बना हुआ है । यह जर्जर पुल है और दो जिला को जोड़ने वाली है, कभी भी बड़ी घटना हो सकती है । यह लोहा का पुल है और अब तो ऐसा पुल कोई है भी नहीं तो ग्रामीण कार्य विभाग ऐसा पुल बना रही है और कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है तो ग्रामीण कार्य विभाग इसको दिखवा ले और दिखवा कर उचित कार्रवाई करे ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लीजिये । मंत्री जी देख लीजियेगा ।

श्री जयंत राज, मंत्री : महोदय, हमलोग देख लेते हैं कि क्या मामला है क्योंकि अभी प्रस्ताव हमलोगों के पास नहीं आया है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

समापन भाषण

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण,

सप्तदश बिहार विधान सभा का षष्ठम सत्र दिनांक 24 जून, 2022 से प्रारंभ होकर आज दिनांक 30 जून, 2022 को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल 05 (पांच) बैठकें हुई ।

सत्र के प्रथम दिन दिनांक 24 जून, 2022 को सप्तदश बिहार विधान सभा के चतुर्थ एवं पंचम सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमोदित 11 (ग्यारह) विधेयकों का एक विवरण सभा सचिव द्वारा सदन पटल पर रखा गया एवं उसी दिन प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी को

सदन में उपस्थापित किया गया । कुल 11 (ग्यारह) जननायकों के निधन के प्रति शोक-प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गयी ।

दिनांक 28 जून, 2022 को माननीय सदस्य, श्री संजय सरावगी के प्रस्ताव पर बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-43 के तहत सामान्य लोकहित के विषय उत्कृष्ट विधान सभा एवं उत्कृष्ट विधायक के स्वरूप निर्धारण करने संबंधी विषय पर सदन में विचार-विमर्श हुआ ।

दिनांक 29 जून, 2022 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित शिक्षा विभाग की अनुदान की मांग पर वाद-विवाद हुआ तथा सरकार के उत्तर के बाद मांग स्वीकृत हुई एवं शेष मांगें गिलोटिन (मुखबंध) के माध्यम से स्वीकृत हुईं, तत्संबंधी विनियोग विधेयक भी स्वीकृत हुआ।

दिनांक 30 जून, 2022 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अनुसरण में बिहार सरकार का 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुये वर्ष 2020-21 के प्रतिवेदन ''राज्य के वित्त'' जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है कि एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी तथा प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिये प्राप्य हो का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

इस सत्र में निम्न राजकीय विधेयकों को स्वीकृति मिली :-

1) बिहार छोआ (नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 2022.

2) बिहार विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2022.

सत्र के दौरान कुल-827 प्रश्न प्राप्त हुये जिसमें 713 प्रश्न स्वीकृत हुये। इन स्वीकृत 713 प्रश्नों में कुल 46 अल्पसूचित प्रश्न थे जिनमें 45 के उत्तर प्राप्त हुये, कुल 572 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुये, जिनमें 553 के उत्तर प्राप्त हुये । साथ ही 95 प्रश्न अतारांकित हुये ।

इस सत्र में कुल-81 ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें 08 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए, 70 सूचनाएं लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये तथा 3 अमान्य हुये ।

इस सत्र में कुल 139 निवेदन प्राप्त हुये, जिसमें 137 स्वीकृत हुये एवं 2 अस्वीकृत हुये । कुल 94 याचिकाएं प्राप्त हुई, जिनमें 89 स्वीकृत एवं 5 अस्वीकृत हुये । इस सत्र में कुल 107 गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन में चर्चा हुई।

इस सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से जनहित के कतिपय मामले उठाये गये एवं विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन, नियमावली, अधिसूचना की प्रति तथा बिहार विधान सभा के विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये ।

माननीय सदस्यगण, सप्तदश बिहार विधान सभा के ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 04 माननीय सदस्य श्री शाहनवाज, क्षेत्र सं0-50 (जोकीहाट), श्री मोहम्मद अनजार नईमी, क्षेत्र सं0-52 (बहादुरगंज), श्री मुहम्मद इजहार असफी, क्षेत्र सं0-55 (कोचाधामन) एवं श्री सैयद रूकनुददीन अहमद, क्षेत्र सं0-57 (बायसी) द्वारा राष्ट्रीय जनता दल विधायक दल में विलय किये जाने के अनुरोध पर भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के अधीन ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के चारों सदस्यों का राष्ट्रीय जनता दल विधायक दल में सदस्य के रूप में विलय की मान्यता दिनांक 30 जून, 2022 से प्रदान की गयी है । अब श्री शाहनवाज, स0वि0स0, श्री मोहम्मद अनजार नईमी, स0वि0स0, श्री मुहम्मद इजहार असफी, स0वि0स0 एवं श्री सैयद रूकनुददीन अहमद, स0वि0स0 राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य हैं ।

माननीय सदस्यगण, यह सदन एक संवैधानिक न्यास है, राजनीति इसका एक अहम पहलू जरूर है लेकिन जन आकांक्षाओं तथा जीवन के कायदों को पूरी तरह केवल राजनीति भर से सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता । इसलिये हमारा यह प्रयास होना चाहिये कि लोकतंत्र का यह मंदिर विमर्श का केन्द्र बने, इसे व्यवधान का रंगमंच नहीं बनाया जा सकता । यहां से सत्ता और शासन की दशा और दिशा तो तय होती ही है, साथ ही सामाजिक सरोकार, नैतिक एवं मर्यादा के प्रतिमान भी निर्धारित होते हैं । अत: हम अपने संवैधानिक अधिकारों, वैचारिक आग्रहों का रचनात्मक इस्तेमाल करें, यह प्रयास करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है ।

(क्रमश:)

टर्न-20/राहुल/30.06.2022

अध्यक्ष (क्रमश:) : इस महान सदन का अंग बनकर हमें जो स्वतंत्रता और विशेषाधिकार मिले हैं उसे तात्कालिक राजनीतिक लाभ से प्रेरित स्वच्छंदता के हाथों विनष्ट नहीं करना चाहिए । राजनीति में विरोध होना चाहिए लेकिन उसे शत्रुता के स्तर तक ले जाना वांछनीय नहीं होता । वैचारिक मतभेद को व्यावहारिक मनभेद के स्तर तक पहुंचने से हमें रोकना होता है । हम बिहार की जिस लोकतांत्रिक विरासत और इस गौरवशाली सदन के ऐतिहासिक प्रतिमानों से सूत्रबद्ध हैं, वह हमें यही सिखाता है

कि वाद-विवाद से विमर्श और संवाद से समाधान के रास्ते खुलते हैं । आलोचना से आत्म मंथन का अवसर मिला । विश्लेषण से संश्लेषण तक पहुंचा जा सकता है लोकतांत्रिक व्यवस्था का यही स्वरूप हमारे पुरखों ने दुनिया के सामने रखा था, इन्हीं मानदंडों को आत्मसात कर हम आज भी देश और दुनिया के सामने उत्कृष्ट विधायिका और उत्कृष्ट विधायक की नजीर पेश कर सकते हैं । सामाजिक सरोकार, संवैधानिक अधिकार और वैचारिक आग्रह के प्रति निष्ठावान रहकर हममें से हर सदस्य उत्कृष्ट विधायक हो सकते हैं । यह मेरा विश्वास है ।

माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा भवन का शताब्दी वर्ष अपने समापन की ओर है । इस समापन को ऐतिहासिक और भविष्य के लिए प्रेरणादायी बनाने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी का शुभागमन होना है जिसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन उस गरिमामय क्षण को बढ़ाने में आम भूमिका निभायेंगे । इस अवसर पर हम अपने समन्वय, सामंजस्य और सहकार से अपनी विधायिका की उज्ज्वल तस्वीर पेश करें यह हम सबका दायित्व है । पक्ष-विपक्ष के रूप में हमारी जिम्मेवारी अस्थायी है, हमारा यहां होना, न होना भी अस्थायी है लेकिन यह सदन और इस सदन की मर्यादा स्थायी है । अत: हम सभी को शताब्दी वर्ष के समापन समारोह को तथा भारत अमृत महोत्सव के पावन अवसर को एक अभूतपूर्व अवसर मानते हुए सामूहिकता और एकजुटता की दर्शनीय तस्वीर बिहार की 12 करोड़ जनता के सामने पेश करनी है । इसके लिए आप सभी के सहयोग और सुझाव की हम अपेक्षा रखते हैं । इसके निमित्त व्यक्तिगत रूप से मैं अपने साधन और सामर्थ्य के साथ आप सबके लिए उपस्थित भी मिलूंगा।

माननीय सदस्यगण, यह आपकी प्रतिष्ठा और आपका कार्यक्रम है । आने वाले दिनों में देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है । यह न सिर्फ हमारे उत्साह, उल्लास और उपलब्धियों का उत्सव है, इस उत्सव पर हमें अपनी जिम्मेवारियों को भी निभाने का संकल्प लेना है । अतीत के सुनहरे पक्षों से सीखते हुए स्वर्णिम भविष्य की दिशा में जनमानस को ले जाने का प्रयास करना है। अपनी नीति, अपने निर्णय तथा न्यायपूर्ण कार्य-व्यवहार से भावी भारत के निर्माण में बिहार को और हम सभी को अपना योगदान देना । यह संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का कार्य हम सभी को करना है । सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास से हमें अपने सामूहिक भविष्य की संरचना करनी है । इस ध्येय के लिए मैं अपनी ओर से यही कहूंगा कि :

''ऊंच-नीच का भेद नहीं हो,

जन-जन में समता हो,
हो कुटुम्ब सा जन-समाज,
सब पर सबकी ममता हो ।
राजा-प्रजा नहीं हो कोई,
और न भेद शासन में हो,
धर्म-नीति का जन-जन के,
मन-मन पर अनुशासन हो ।।''

माननीय सदस्यगण, सत्र के संचालन में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण, नेता विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के आप सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं ।

समाचार प्रेषण में पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही सफलता से ले जाने का कार्य किया इस हेतु उन्हें भी मैं साधुवाद देता हूं ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों/कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित पुलिस बल के जवानों ने तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है इसके लिए वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं । इन्हीं शब्दों के साथ प्रदेश की 12 करोड़ जनता को मैं अपनी तथा सदन की ओर से उन्हें स्वस्थ, सुखी, समृद्ध और संभावनामय जीवन की शुभकामनाएं देता हूं ।

श्री मो0 कामरान : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : बैठ जाइये । माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की सूचना किसी भी क्षण हमारे माननीय नेता सदन को मिल सकती है, हम लोगों के पास आ सकती है, नेता प्रतिपक्ष को भी । हम सब सजग रहें कि जैसे ही सूचना मिलेगी यह आपका कार्यक्रम है और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों का अधिकार बराबर है । आप सबको मिलकर इस ऐतिहासिक क्षण का भागीदार और गवाह दोनों बनना है ताकि आने वाली पीढ़ी इस शताब्दी वर्ष व हमको-आपको याद कर सके ।

माननीय सदस्यगण, अब राष्ट्रगीत होगा । कृपया अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जायं ।

(राष्ट्रगीत)

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है।